VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365 सारांश

अर्थव्यवस्था

अभ्यास
मेन्स 2025

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा
(GS + निबंध + वैकल्पिक विषय)
मॉक टेस्ट (ऑफ़लाइन)

Scan to Know More and Register

पेपर	GS - I & II	GS - III & IV	निबंध	वैकल्पिक विषय I & II
तिथि	26 जुलाई	27 जुलाई	2 अगस्त	3 अगस्त

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

वैकल्पिक विषय नृविज्ञान । भूगोल । हिंदी । इतिहास । गणित । दर्शनशास्त्र । भौतिकी । राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध । लोक प्रशासन । समाजशास्त्र

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

मुख्य परीक्षा
2025 के लिए 1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में

विषय सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारत का संरचनात्मक परिवर्तन (India's Structural Transformation) 6

2. संवृद्धि एवं विकास (GROWTH AND DEVELOPMENT)

2.1 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 {Household Consumption Expenditure Survey (Hces), 2023-24} 7
2.2 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast As 'Frontrunner Of Growth') 7
2.3. मिडिल इनकम ट्रैप (Middle Income Trap) 8
2.4. भारत में निर्धनता (Poverty In India) 9
2.4.1. भारत में गरीबी मापन हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क (India's Poverty Measurement Framework) 9
2.4.2. शहरी गरीबी (Urban Poverty) 9
2.5. आर्थिक संकेतक (Economic Indicators) 10
2.5.1. GDP के आधार वर्ष में संशोधन (GDP Base Year Revision) 10
2.5.2. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा (WPI Base Year Revision)
2.6. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 11
2.6.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष (10 Years of PMJDY) 11
2.6.2. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 Years of Microfinance) 12
2.7. असमानता (Inequality) 13
2.7.1. विकास में क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparity in Development) 13
2.8. ग्रामीण विकास (Rural Development) 13
2.8.1. ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role Of Technology In Rural Growth) 13
2.9. भूमि सुधार (Land Reform) 14
2.9.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization Of Land Records) 14
2.10. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 15
(Nobel Prize In Economics: Institutions & Prosperity) 15

3. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (EMPLOYMENT, LABOUR, AND SKILL DEVELOPMENT)

3.1 संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {Revamped Periodic Labour Force Survey (PLFS)} 13
3.2. वेतन वृद्धि में ठहराव (Stagnant Wages) 16
3.3 गिग इकॉनमी (Gig Economy) 17
3.4 कौशल विकास (Skill Development) 18
3.4.1 विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना (Bridging Global Workforce Gaps) 18

4. राजकोषीय नीति (FISCAL POLICY)

4.1 राज्य वित्त (State Finances) 19
4.2. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation) 19
4.2.1. एंजेल टैक्स (Angel Tax) 19
4.2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains: LTCG) 20
4.2.3. इक्विलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy) 20
4.3 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क (Inflation Targeting Framework) 21

5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (BANKING, PAYMENT SYSTEMS AND FINANCIAL MARKETS)

5.1. बैंकिंग क्षेत्रक (Banking Sector) 22
5.1.1 तरलता घाटा (Liquidity Deficit) 22
5.1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन 22
(Revised Priority Sector Lending Norms) 22
5.1.3. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (One State, One RRB) 23
5.2. वित्तीय बाजार (Financial Market) 24
5.2.1 वित्तीयकरण (Financialisation) 24
5.2.2. डिजिटल भुगतान (Digital Payments) 24
5.2.3. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC) 25
5.2.4. UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization Of Upi) 26
5.2.5. सीमा-पार भुगतान: एक नज़र में (Cross Border Payments At A Glance) 26

6. बाह्य क्षेत्रक (EXTERNAL SECTOR)

6.1. बड़े व्यापार समझौतों का महत्व (Importance Of Large Trade Agreements) 28
6.2. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT) 28
6.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) 29
6.3.1. FPI का FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क (Framework for Reclassification of FPI to FDI) 29
6.4. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि (UN Global Tax Treaty) 29
6.5. दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA) 30
6.6. रुपये का मूल्यह्रास (Rupee Depreciation) 31
6.7. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee) 33
6.8. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings) 32

7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES)

7.1. कृषि (Agriculture) 33
7.1.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana: PMDKY) 33
7.1.2. डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) 33
7.1.3. मखाना (Makhana) 34
7.1.4. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity) 34
7.1.5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) {National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds)} 35
7.2. कृषि विस्तार प्रणाली (Agriculture Extension System) 35

7.3. कृषि आदान (Agriculture Input) 36
7.3.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) {Primary Agricultural CREDITS Societies (PACS)} 36
7.4. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sectors) 36
7.4.1 भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक (India's Dairy Cooperative Sector) 36
7.5. अनाज भंडारण और खाद्य सुरक्षा (Grain Storage and Food Security) 37
7.5.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (Grain storage system in India) 37
7.5.2. भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India: FCI) 38
7.5.3 भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) {Public Distribution System (PDS) in India} 38

8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (INDUSTRY AND INDUSTRIAL POLICY)

8.1. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष (10 Years of Make in India) 39
8.2. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) 40
8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme) 40
8.3.1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्रक (Semiconductor Sector In India) 41

9. सेवाएं (SERVICES)

9.1. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (India's Digital Economy) 42
9.2. क्रिएटिव इकोनॉमी (Creative Economy) 42
9.3. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy) 43

10. अवसंरचना (INFRASTRUCTURE)

10.1 लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स / LEADS) 2024 {Logistics Ease Across Different States (Leads) 2024} 44
10.2 रेलवे (RAILWAYS) 44
10.2.1 रेलवे में सुधार (Railways Reforms) 44
10.3 बंदरगाह और जलमार्ग (Port And Waterways) 45
10.3.1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port) 45
10.3.2 राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {National Waterways (Construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025} 46
10.4 सड़क सुरक्षा (Road Safety) 46

11. खनन गतिविधियां एवं अन्य संसाधन (MINING AND Other Resources)

11.1. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission: NCMM) 48
11.2. प्रमुख एवं लघु खनिज (Major and Minor Minerals) 49
11.2.1 जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF) 49
11.2.2 भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India) 50

12. नवाचार और उद्यमिता (INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

12.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI) 51
12.2 डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (Innovation Ecosystem for Deep Tech) 51
12.3. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता (Global Innovation Index 2024 and Social Entrepreneurship) 52
12.4 वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC) 53

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS का Mains 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
- Mains 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट के सारांश में UPSC मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। साथ ही, इन घटनाक्रमों के महत्व, संबंधित सरोकारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संवैधानिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।
- अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

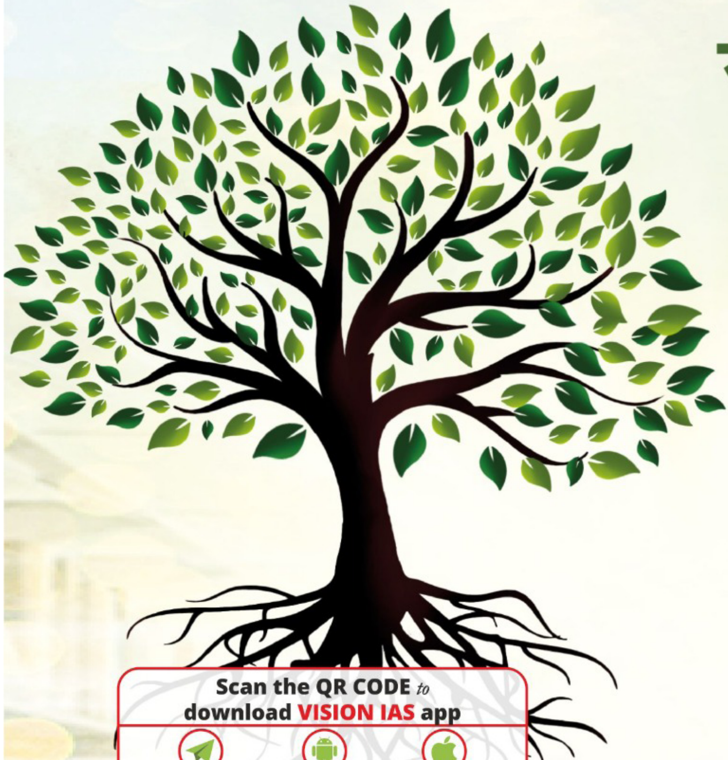

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM
JAIPUR : 20 जुलाई
JODHPUR : 2 जुलाई

1. भारतीय अर्थव्यवस्था (INDIAN ECONOMY)

1.1 भारत का संरचनात्मक परिवर्तन (INDIA'S STRUCTURAL TRANSFORMATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **"एडवांसिंग इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच-अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर"** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

संरचनात्मक परिवर्तन: किसी अर्थव्यवस्था का निम्न-उत्पादकता और श्रम-गहन आर्थिक गतिविधियों से उच्च-उत्पादकता और कौशल-गहन गतिविधियों की ओर बढ़ना।

संरचनात्मक सुधारों के लिए उठाए गए कदम

- **कर सुधार** प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए GST और कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी की गई
- मुख्य क्षेत्रकों में निवेश आकर्षित करने के लिए **उत्पादन-से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की गई**
- ऋण अदायगी प्रवृत्ति और **संसाधन आवंटन** तंत्र में सुधार के लिए **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)**।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को** बढ़ाने के लिए **श्रम सुधार (चार श्रम संहिताएं)**।
- **देश के डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना;** उदाहरण- भारत नेट, इंडिया स्टैक आदि।

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन पर IMF वर्किंग पेपर में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे:

- **क्षेत्रक-वार असंतुलन:** अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है।
- **उद्योगों में तकनीकों को अपनाने की दर एक समान नहीं होना:** टेक्नोलॉजी को अपनाने में सेवा क्षेत्रक ने विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **कम कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि:** 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स के कंस्ट्रक्शन क्षेत्रक में संलग्न होने के साथ यह महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता क्षेत्रक बन गया है।
- **कम उत्पादकता:** 2019-20 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में **श्रम की उत्पादकता कृषि की तुलना में 4.5 गुना अधिक** थी।
- वर्किंग पेपर का अनुमान है कि भारत को 2050 तक **कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे**।

प्रमुख नीतिगत सिफारिशें:

- **शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना:** भारत की श्रम शक्ति ने अन्य देशों की तुलना में औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए हैं। (ASER, 2023)
- **श्रम बाजार सुधारों को लागू करना:** श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए प्रतिबंधों को कम करने हेतु मिलकर काम करने की जरूरत है।
- **व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना चाहिए, शुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए।
- **लालफीताशाही को समाप्त करना:** इससे निजी क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- **निरंतर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा** जैसे कि मजबूत भौतिक सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देना आदि।
- **अन्य उपाय:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना चाहिए; **लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्ति में मदद** करना, आदि।

निष्कर्ष

भारत के लिए उच्च विकास दर को बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने तथा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने हेतु एक संतुलित संरचनात्मक परिवर्तन बेहद ज़रूरी है।

2. संवृद्धि एवं विकास (GROWTH AND DEVELOPMENT)

2.1 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 {HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE SURVEY (HCES), 2023-24}

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24

- **औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE):**
  - **ग्रामीण:** 4,122 रुपये (सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त मुफ्त मदों का मूल्य जोड़ने पर 4,247 रुपये)
  - **शहरी:** 6,996 रुपये (सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त मुफ्त मदों का मूल्य जोड़ने पर 7,078 रुपये)
- **MPCE में वृद्धि:** 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **शहरी-ग्रामीण MPCE में अंतर:** यह 2011-12 में 84% था, जो 2023-24 में घटकर 70% हो गया। इससे ग्रामीण उपभोग में वृद्धि का संकेत मिलता है।
- **गैर-खाद्य मदों पर बढ़ता व्यय:** गैर-खाद्य मदें कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (ग्रामीण: 53%, शहरी: 60%) बन गई है। परिवहन, वस्त्र आदि पर व्यय में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
  - औसत मासिक व्यय में खाद्य-पदार्थों की हिस्सेदारी घटी है।
- **उपभोग असमानता:** गिनी गुणांक घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में **0.237** और शहरी क्षेत्रों में **0.284** हो गया है। यह आय असमानता में कमी को दशर्शाता है।

घरेलू उपभोग सर्वेक्षण व्यय (HCES) के बारे में

- **उद्देश्य:** घरेलू उपभोग और व्यय पैटर्न पर विस्तृत डेटा एकत्र करना, जो देश में जीवन स्तर और रहन-सहन या खुशहाली का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है।
- **सर्वेक्षण का आयोजन:** इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा नियमित अवधि पर आयोजित किया जाता है।
- **HCES के मुख्य उद्देश्य:**
  - **उपभोग पैटर्न को समझना:** यह सर्वेक्षण घरेलू (पारिवारिक) स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर डेटा एकत्र करता है। इससे परिवार के जीवन और रहन-सहन के स्तर पता चलता है।
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:** यह सर्वेक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिए भारांश तैयार करने में सहायक होता है, जो आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **आर्थिक संकेतक:** यह सर्वेक्षण GDP और CPI जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है।

2.2 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast As 'Frontrunner of Growth')

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025** का उद्घाटन किया।

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रकों की मुख्य विशेषताएं

क्षेत्रक (सेक्टर्स)	मुख्य बिंदु
वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प	पूर्वोत्तर क्षेत्र संधारणीय वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें असम के जीआई-टैग प्राप्त मुगा रेशम, नागालैंड के आदिवासी शॉल, त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी आदि शामिल हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा	इस क्षेत्र में **60 गीगावाट** से अधिक की पारंपरिक जलविद्युत दोहन योग्य क्षमता विद्यमान है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का 40% है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (IT & ITeS)	इस क्षेत्र में तेजी से IT अवसंरचना का विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए, असम का **100 एकड़ का IT पार्क, इम्फाल** में **IT विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** आदि।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स	**वित्त वर्ष 2024-25 में** 78 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का निर्माण किया गया। इसी तरह **ढोला-सदिया** और **बोगीबील** जैसे पुलों के निर्माण से कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। 17 हवाई अड्डों (2013 में 9 हवाई अड्डे) के निर्माण के कारण **एयर-कनेक्टिविटी** में सुधार हुआ है।
शिक्षा	**उच्च साक्षरता दर:** मिजोरम (91.3%), त्रिपुरा (87.2%), नागालैंड (80.1%)।

कृषि	❖ **समृद्ध एग्रो-बायोडायवर्सिटी** और अनुकूल जलवायु आर्गेनिक और उच्च-मूल्य वाली फसलों (जैसे- असम की चाय, जोहा चावल, कचाई नींबू, कीवी, अनानास) के उत्पादन को बढ़ावा देती है।
खेल	❖ **पारंपरिक खेल** (तीरंदाजी, थांग-ता, पोलो आदि)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां

- **बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना:** जैसे कि, **संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या चिकन नेक)**।
- **विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष: उदाहरण के लिए,** NSCN-IM **'ग्रेटर नागालिम'** की मांग कर रहा है,आदि।
- **नार्को आतंकवाद:** "गोल्डन ट्रायंगल" **(म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)** देशों के साथ छिद्रपूर्ण सीमा।
- **मानवाधिकार हनन:** सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आदि का चिंता व्यक्त करना।
- **प्राकृतिक आपदाओं का खतरा: उदाहरण के लिए,** हर साल **ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़** के कारण असम में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

भारतीय स्तर पर	अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
❖ **पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)**। ❖ एक्ट ईस्ट नीति ❖ **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE)** ❖ **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER)**।	❖ **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना; इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग; आदि। ❖ **एक्ट ईस्ट फोरम (AEF):** भारत और जापान द्वारा स्थापित। ❖ **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)**

आगे की राह

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों का विकास: उदाहरण के लिए, हिली** (पश्चिम बंगाल)**–महेंद्रगंज** (मेघालय) **ट्रांसनेशनल कॉरिडोर**।
- **विद्रोही गतिविधियों को कम करना:** उदाहरण के लिए, त्रिपुरा के पुनर्वास मॉडल ने उग्रवाद को कम किया।
- **अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना:** सीमा प्रबंधन में सुधार करके।।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना: भेदभाव और नृजातीय हमलों** को रोकना (बेजबरूआ समिति)।

निष्कर्ष

अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। कनेक्टिविटी की कमी को दूर करके, शांति सुनिश्चित करके इसे समावेशी और सतत विकास का केंद्र बनाया जा सकता है।

2.3. मिडिल इनकम ट्रैप (Middle Income Trap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को **2047 तक उच्च-आय वाला देश (HIC)** बनने के लिए अगले 22 वर्षों तक **औसतन 7.8% की आर्थिक संवृद्धि दर** प्राप्त करनी होगी।

मिडिल इनकम ट्रैप क्या है?

- यह वह स्थिति है जिसमें **तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल रहती हैं।**
- विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश** के रूप में वर्गीकृत करता है, जिनकी **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 1,135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर** के बीच है।

भारत के मिडिल इनकम ट्रैप में उलझने के प्रमुख कारण?

- **मानव संसाधन का ठीक से दोहन नहीं होना:** केवल 51% स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं। भारत में R&D पर GDP का केवल 0.64% व्यय किया जाता है जबकि चीन में यह अनुपात 2.4% है।
- **आय असमानता में वृद्धि:** भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है।
- **औद्योगीकरण का स्थिर होना:** भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे **सेवा क्षेत्रक** की ओर आगे बढ़ रही है। **विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% से नीचे** बनी हुई है।
- **निजी निवेश में गिरावट:** GDP के हिस्से के रूप में निजी निवेश में गिरावट आई है।

आगे की राह

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3i रणनीति अपनानी चाहिए।

निम्न आय वाले देशों में निवेश (1i)	निम्न-MIC के लिए निवेश + समावेश (2i)	उच्च-MIC के लिए निवेश + समावेश + नवाचार (3i)
घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता होती है।	अनुकूल निवेश माहौल बनाए रखने के अलावा ऐसे उपाय करने होते हैं जो **विदेशों से नए आइडियाज को प्राप्त कर सके और अर्थव्यवस्था में उन्हें अपना सकें।**	इसे नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और मध्यम आय वाले अन्य देशों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और विकास चरण के अनुरूप व्यवस्थित एवं नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे सफलतापूर्वक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें और 'मिडिल इनकम ट्रैप' से बाहर निकल सकें।

2.4. भारत में निर्धनता (POVERTY IN INDIA)

2.4.1. भारत में गरीबी मापन हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क (INDIA'S POVERTY MEASUREMENT FRAMEWORK)

सुर्खियों में क्यों?

एक अध्ययन में कहा गया है कि लोगों के बढ़ते जीवन स्तर को दर्शाने के लिए भारत में गरीबी मापन के मौजूदा तरीकों में तत्काल बदलाव की जरूरत है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **पावर्टी हेडकाउंट रेशियो (HCR): 1.90 डॉलर PPP** पर, यह अनुपात 2011-12 में **लगभग 12%** था, जो घटकर **2023-24 में 1%** हो गया है।
- **सबसे गरीब परिवार:** धनी परिवारों की तुलना में सबसे गरीब परिवारों के उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि देखी गई है।
- **मौजूदा गरीबी की रेखा:** ये पुराने हो चुके हैं और वर्तमान अभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते।

अध्ययन में सापेक्ष गरीबी की दो नई सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं:

- **उपभोग के एक-तिहाई पर्सेंटाइल के आधार पर सापेक्ष गरीबी रेखा:** इस पद्धति में सरकार की ओर से तय गरीबी रेखा की बजाय, समाज के **सबसे कम आय वाले 33 प्रतिशत लोगों के व्यय को गरीबी का मापदंड** बनाया जाता है।
- **आय के आधार पर सापेक्ष गरीबी रेखा:** यूरोप में, सभी व्यक्तियों की आय को क्रम में रखने पर जो मीडियन इनकम यानी मध्य आय निकलती है, उसके 60% से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है।
  - यदि इस पद्धति को भारत में लागू किया जाए, तो **2023-24 में 16.5% आबादी इस सीमा से नीचे** थी।

नई गरीबी रेखा का महत्व

- यह वर्तमान समय में गरीबों के अभावों को ध्यान में रखते हुए **अपडेटेड उपभोग पैटर्न** को दर्शाती है।
- यह सुनिश्चित करती है कि **आर्थिक संवृद्धि के साथ गरीबी रेखा अपने आप समायोजित** होती रहे।

निष्कर्ष

यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि भारत में गरीबी मापने की रूपरेखा की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है। सापेक्ष गरीबी (रिलेटिव पॉवर्टी) मापन पद्धति को अपनाने से आज की अर्थव्यवस्था में अभाव का अधिक सटीक और परिवर्तनशील आकलन प्राप्त होगा।

2.4.2. शहरी गरीबी (Urban Poverty)

सुर्खियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं तक शहरी गरीबों की पहुंच में सुधार के लिए पहल **'सहयोग/ SAHAYOG'** शुरू की है।

भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति

- भारत की शहरी जनसंख्या **1951 में 17.29%** थी, जो **2011 में लगभग दोगुनी होकर 31.16%** हो गई।
- **2050** तक भारत की **50%** से अधिक आबादी **(877 मिलियन)** शहरों और कस्बों में निवास कर रही होगी।

शहरी गरीबी के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

- **अनियोजित शहरीकरण** और नीति निर्माण में शहरी गरीबों को अनदेखा करना।
- अविकसित छोटे शहरों के कारण **महानगरों पर दबाव।**
- **बिना पहचान पत्र वाले प्रवासी** कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
- शिक्षा और नौकरियों की कमी के कारण **पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी का दुष्चक्र।**

सरकारी पहलें

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड**: आधार-आधारित पोर्टेबिलिटी से प्रवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0:** शौचालयों के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्वच्छता योजना।
- **PMAY-Urban:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और झुग्गीवासियों के लिए आवास सुविधा।
- **DAY-NULM:** यह योजना शहरी गरीबों को **लाभकारी स्वरोजगार और कौशल प्रदान करके रोजगार** के अवसर प्रदान करती है।
- **अन्य:** AMRUT 2.0, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, पीएम स्वनिधि, आदि।

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण:** जन भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत प्रशासन।
- **टियर-II और टियर-III शहरों का विकास:** बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रवासन को कम करना।
- **सतत शहरीकरण:** शहरी स्थानीय निकायों द्वारा फोकस करना, उदाहरण के लिए, इंदौर का स्वच्छता मॉडल।
- **सशक्तीकरण: कौशल एवं श्रम-प्रधान क्षेत्रों** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लक्षित वितरण:** समावेशन संबंधी त्रुटियों को ठीक करने, पोर्टेबिलिटी और निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

2050 तक भारत के शहरों द्वारा **GDP में 75% से अधिक योगदान देने और इनसे लगभग 60% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** होने की संभावना है। इसलिए, शहरी गरीबी की समस्या का समाधान करना सतत विकास और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

2.5. आर्थिक संकेतक (ECONOMIC INDICATORS)

2.5.1. GDP के आधार वर्ष में संशोधन (GDP Base Year Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आधार वर्ष **2011-12** से बदलकर **2022-23** करने के लिए **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)** पर **सलाहकार समिति** का गठन किया है।

आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष वह **संदर्भ वर्ष (Reference year)** होता है जिसकी कीमतों का उपयोग राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि (मुद्रास्फीति को घटाकर) की गणना के लिए किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, यदि **2011-12** आधार वर्ष है, तो अन्य वर्षों की GDP को 2011-12 की कीमतों के आधार पर समायोजित किया जाता है।

GDP आधार वर्ष को अपडेट करने की जरूरत क्यों है?

- **मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करना:** पुराने आधार वर्ष बढ़ती कीमतों को नजरअंदाज करके GDP का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर लगा सकते हैं।
- **डेटा गुणवत्ता में वृद्धि:** डिजिटलीकरण से नया डेटा उपलब्ध हुआ है, जो GDP आकलन को अधिक **विश्वसनीय** बनाता है।
- **वैश्विक तुलना:** इसे अन्य देशों के GDP आकलन के साथ तुलना योग्य बनाएगा।
- **अन्य कारण:** कोविड-19 महामारी के बाद की स्थिति को अपनाएगा, नीति निर्धारण का समर्थन करेगा, आदि।
- अन्य संकेतकों के लिए भी प्रासंगिक है, जैसे- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), थोक मूल्य सूचकांक (WPI),** और **CPI.**

GDP के बारे में

- **नॉमिनल GDP:** चालू बाजार कीमतों पर, मुद्रास्फीति का समायोजन किया जाता है।
- **रियल GDP: आधार वर्ष की कीमतों** का उपयोग करके, मुद्रास्फीति को समायोजित कर मापा जाता है।
- **GDP की सीमाएं:** आय असमानता की उपेक्षा, गैर-बाजार आधारित गतिविधियां शामिल नहीं होतीं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की उपेक्षा।

निष्कर्ष

GDP आधार वर्ष को 2022-23 तक संशोधित करने से डेटा की सटीकता बढ़ेगी, वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सकेगा और वैश्विक तुलनात्मकता में सुधार होगा।

2.5.2. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा (WPI Base Year Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** की मौजूदा श्रृंखला का **आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23** करने के लिए **प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन** किया है।

WPI के बारे में

- थोक बिक्री के प्रथम बिंदु पर वस्तुओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापता है।
- इसे **DPIIT** के तहत कार्यरत **आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी** किया जाता है।
- इसमें कुल **697 मदें** शामिल हैं, जिन्हें तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है:
  - प्राथमिक मद (भारांश: 22.618)
  - ईंधन और बिजली (13.152)
  - विनिर्मित उत्पाद (64.230)

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के बारे में: यह **उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव** को मापता है, जो **घरेलू बाजार** में बेची जाती हैं या निर्यात की जाती हैं।

निष्कर्ष

WPI आधार वर्ष में संशोधन और **PPI को अपनाना वास्तव में मुद्रास्फीति को मापने का अधिक सटीक और विश्वस्तरीय तरीका हो सकता** है, जिससे बेहतर नीतिगत और आर्थिक निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

2.6. वित्तीय समावेशन (FINANCIAL INCLUSION)

2.6.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष (10 Years of PMJDY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बारे में

- **PMJDY** वास्तव में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (NMFI) है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है।
- **उद्देश्य: प्रत्येक भारतीय के लिए** बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी **वित्तीय सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध** करवाना।
- **मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय** (वित्तीय सेवाएं विभाग)
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
  - **बीमा कवरेज प्रदान करना:** अगस्त, 2018 के बाद **रूपे (RuPay) कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर** बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
  - **वित्तीय सेवा से वंचित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना:** माइक्रो-इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट।

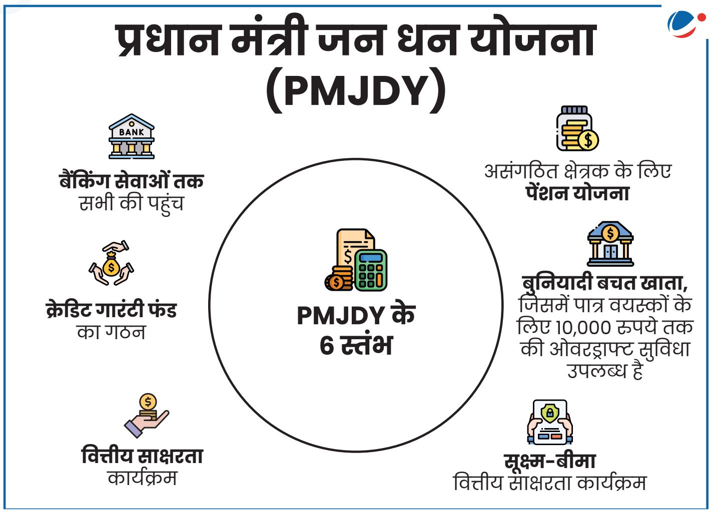

PMJDY की प्रमुख उपलब्धियां

- **बड़ी संख्या में नए खाते खोले गए:** अगस्त, 2024 तक **53.13 करोड़ जन धन खाते** खोले जा चुके थे, जबकि मार्च, 2015 तक यह संख्या 14.72 करोड़ थी।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: 36.14 करोड़ रुपे कार्ड** जारी किए गए हैं। इससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिला है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज:** देश के लगभग सभी गावों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध हैं।
- **औसत जमा राशि में वृद्धि:** 2015 से 2024 के बीच जमा-राशि में 4.12 गुना वृद्धि हुई है और **कुल जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।**
- **जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या में कमी:** ऐसे खातों की संख्या 2015 में 8.52 करोड़ थी, जो अब कम होकर 4.26 करोड़ रह गई है।

निष्कर्ष

PMJDY ने समावेशन को गहन बनाकर, डिजिटल पहुंच को सक्षम बनाकर और क्षेत्रों में वित्तीय असमानता को कम करके भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है।

2.6.2. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 Years of Microfinance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वरोजगार महिला संघ (SEWA) **भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्था (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक** है। गौरतलब है कि SEWA बैंक की स्थापना **1974** में **गुजरात** में हुई थी।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- माइक्रोफाइनेंस, जिसे सूक्ष्म ऋण भी कहा जाता है, एक वित्तीय सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों और छोटे व्यवसायों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

- **गरीबी उन्मूलन:** यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को** SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** माइक्रोफाइनेंस ऋणों में से 46% ऋण ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है।
- **महिला सशक्तीकरण:** बैंकों से जुड़े 88% SHGs महिलाओं द्वारा संचालित हैं, उदाहरण के लिए- **केरल में कुदुम्बश्री**।
- **वित्तीय समावेशन:** MFIs वित्त वर्ष 2024 में 140 मिलियन परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रही थीं।
- **सामाजिक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** की **'छोटे कदम'** पहल से स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार हुआ।

भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियां

- **ऋण जाल में फंसना:** 8 से 10 प्रतिशत उधार ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पहले से ही चार या उससे ज्यादा जगहों से कर्ज ले रखा है; उच्च ब्याज दरें।
- **विनियमन संबंधी मुद्दे:** विभिन्न MFI प्रकारों के लिए कई नियामक।
- **ऋण वापस नहीं मिलने का जोखिम:** इससे NPAs में वृद्धि होती है।
- **लंबे समय तक संचालन पर संदेह:** केवल कुछ संस्थाएं ही लाभ अर्जित कर रही हैं। जाहिर है कि लंबे समय में इनका संचालन प्रभावित होगा।

माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म वित्त) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **SHG-बैंक लिंकेज:** SHG को उत्पादन आधारित ऋण को बढ़ावा देता है।
- **मुद्रा योजना:** छोटे व्यवसायों के लिए 20 लाख तक का जमानत-मुक्त (कोलेटरल फ्री) माइक्रो क्रेडिट प्रदान करती है।
- **NBFC-MFI लचीलापन:** RBI (2014) ने NBFC-MFIS को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।
- **RBI फ्रेमवर्क (2022):** माइक्रोफाइनेंस ऋण और पुनर्भुगतान मानदंड परिभाषित किए गए।
- **NABARD पुनर्वित्त:** MFis को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आगे की राह

- ऋणदाताओं की संख्या 3 तथा बकाया ऋण की सीमा 2 लाख रुपये की जाए।
- समग्र विकास के लिए MFIs को क्षेत्रवार वर्गीकृत किया जा सकता है।
- वित्तीय साक्षरता और बीमा पैठ को बढ़ावा देना।
- दक्षिणी राज्यों में सफल माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क से सीखने की जरूरत है।

निष्कर्ष

भारत में माइक्रोफाइनेंस की 50 वर्षों की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि इसने **गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन** में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। भविष्य में, इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए **अधिक सतत, प्रौद्योगिकी-आधारित और विनियमित माइक्रोफाइनेंस प्रणाली** अत्यंत आवश्यक होगा।

2.7. असमानता (INEQUALITY)

2.7.1. विकास में क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparity in Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा **"भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन: 1960-61 से 2023-24"** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया। इसमें भारतीय राज्यों में असमान विकास को रेखांकित किया गया है।

वर्किंग पेपर में रेखांकित मुख्य ट्रेंड्स पर एक नज़र

- **सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में असमानता: भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्य** जैसे कि दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 250.8% है।
- **भारत की GDP में दक्षिणी राज्यों का प्रभुत्व:** दक्षिणी राज्यों ने 2023-24 में भारत की GDP में 30% से अधिक का योगदान दिया।
- **समुद्र तटीय राज्यों का प्रदर्शन बेहतर:** पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किए हैं।
- **पूर्वी क्षेत्र के राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं:** बिहार की सापेक्ष स्थिति स्थिर बनी हुई है, फिर भी यह अन्य राज्यों से काफी पीछे है।

विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए आगे की राह

- **अनुरूप क्षेत्रीय कार्यक्रम:** पहाड़ी क्षेत्र और सूखा क्षेत्र विकास जैसे केंद्रित हस्तक्षेप।
- **प्रदर्शन के आधार पर वित्त-पोषण:** वित्त-पोषण प्रदान करने के तरीके को विकास मानक लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा जाना चाहिए।
- **सुशासन को बढ़ावा देना:** प्रभावी प्रशासन से निवेश आकर्षित करने तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार करने में मदद मिलती है।
- **संतुलित अवसंरचना विकास:** बिजली, परिवहन, दूरसंचार और सिंचाई में सुधार करना।
- **क्षेत्रीय निवेश:** समावेशी विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों में **फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज** स्थापित करना।

निष्कर्ष

संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए नवाचार, निवेश, मजबूत शासन और कुशल संसाधन उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना आवश्यक कदम हो सकता है।

2.8. ग्रामीण विकास (RURAL DEVELOPMENT)

2.8.1. ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका (ROLE OF TECHNOLOGY IN RURAL GROWTH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हरियाणा के मंडौरा में **"रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रुटेज/RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC)"** का शुभारंभ किया गया।

RSVC के बारे में

- RSVC को **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के तत्वाधान** में विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना** है।
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने **2003-04 में RuTAGe की अवधारणा** तैयार की थी।

RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **भौतिक उपस्थिति:** यह पंचायत स्तर पर **दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान** करता है, आदि।
- **बाजार तक पहुंच: ONDC, अमेजन** जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है।
- **व्यापकता:** 20 नए केंद्र खोलने की योजना तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले "टेकप्रेन्योर्स" पर ध्यान केन्द्रित करना।

ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **कृषि नवाचार: ई-नाम (e-NAM)** किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य निर्धारण तक पहुंच बनाने में मदद करता है।
- **उद्यमिता: ई-कॉमर्स** और **3D प्रिंटिंग** जैसी तकनीक छोटे

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें

- **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी उन्नति (Technological Advancement in Rural Areas: TARA)**
  'कौशल संवर्धन शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम' का एक भाग। इसका लक्ष्य ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी समाधानों को लागू करने वाले विज्ञान-आधारित संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।
- **ई-श्रम प्लेटफॉर्म**
  यह असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क**
  यह इंटरनेट बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य की राजधानियों, जिलों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ता है।
- **डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम**
  यह भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है तथा राज्य-विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि संबंधी जानकारी के प्रबंधन के लिए तकनीक विकसित करता है।

व्यवसायों का समर्थन करती हैं।

- **शिक्षा: पी.एम.ई-विद्या (PM e-VIDYA)** और **स्वयं (SWAYAM)** जैसे कार्यक्रम, ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम और पी.एम. जन धन योजना** पारदर्शिता सहित प्रत्यक्ष अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **जल प्रबंधन: राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)** से कृषि क्षेत्रक में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

RSVC नवाचार को ग्रामीण आवश्यकताओं से जोड़ने, स्केलेबल तकनीक, बाजार एकीकरण और स्थानीय सशक्तिकरण के माध्यम से **समावेशी विकास को सक्षम करने** की एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है।

2.9. भूमि सुधार (LAND REFORM)

2.9.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (DIGITIZATION OF LAND RECORDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि **2016 से ग्रामीण भारत में लगभग 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण** का कार्य पूरा किया जा चुका है। यह उपलब्धि **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)** के कारण प्राप्त की जा सकी है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के बारे में

- **कार्यक्रम की शुरुआत: 2016** में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को नया रूप देकर इसकी शुरुआत की गई थी।
- **संबंधित मंत्रालय:** यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग** के तहत **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** मैनुअल रूप से आनुमानित (Presumptive) भू-स्वामित्व प्रणाली को डिजिटल रूप से निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली से बदलना।
- **DILRMP के अंतर्गत प्रमुख पहलें:** भू-आधार, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, ई-कोर्ट एकीकरण, भूमि सम्मान।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **भूमि स्वामित्व विवाद:** भारत में 60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित हैं; जालसाजी और बेनामी स्वामित्व आम हैं।
- **अकुशल प्रशासनिक प्रक्रियाएं:** भूमि अभिलेखों को अपडेट करने की प्रणाली जटिल होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **अप्रचलित मानचित्रण:** मौजूदा अभिलेख जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं हैं।
- **लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण:** पीएम-किसान योजना में सहायता सटीक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है।
- **राजस्व प्रशासन को मजबूत करना:** स्थानीय संपत्ति कर और वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण।

भूमि के डिजिटलीकरण से संबंधित अन्य पहल

- **स्वामित्व (SVAMITVA) योजना:** यह योजना ड्रोन से सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण आवासीय भूमि के स्वामित्व को कानूनी दर्जा प्रदान करती है।

भूमि के डिजिटलीकरण में मौजूद चुनौतियां

- **अनुमानित भू-स्वामित्व:** कोई कानूनी गारंटी नहीं; केवल बिक्री विलेख पंजीकृत होते हैं।
- **विभागों का अलग-अलग दृष्टिकोण:** पंजीकरण, सर्वेक्षण और राजस्व के बीच असंबद्ध डेटा।
- **पंजीकरण से संबंधित कानूनी प्रावधान:** कुछ भूमि हस्तांतरण अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं होते हैं।
- **अन्य:** विरासत डेटा से जुड़ी समस्याएं, अवसंरचना की कमी, परिवर्तन के लिए हितधारकों का प्रतिरोध।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा प्रमाणित भू-स्वामित्व अधिकार को अपनाने सहित कानूनी सुधारों, प्रौद्योगिकी को अपनाने और क्षमता निर्माण से भूमि अभिलेख प्रबंधन की पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में वृद्धि होगी।

2.10. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics: INSTITUTIONS & PROSPERITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार **डारोन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन** और **जेम्स ए. रॉबिन्सन** को **"संस्थाओं का समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है"** विषय पर उनके शोध के लिए दिया गया है।

पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समृद्धि पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव:** औपनिवेशिक सरकारों ने 16वीं शताब्दी से ऐसी संस्थाएं स्थापित कीं, जिससे उपनिवेशों का "भाग्य पलट गया", और कभी गरीब रहे देश अमीर बन गए।
- **प्रभावित करने वाले कारक:** नए बसने वालों की मृत्यु दर और जनसंख्या घनत्व ने औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित संस्थाओं के प्रकार को गहराई से प्रभावित किया।
- **संस्थाओं के प्रकार:** कुछ समाज शोषक संस्था बनकर रह गए हैं, जो प्रगति को सीमित कर रहे हैं। सुधारों को अपनाने से लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, जिससे गरीबी कम हो सकती है।

राष्ट्रीय समृद्धि को दिशा देने में आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका

- **संपत्ति का अधिकार:** संविधान का अनुच्छेद 300A स्वामित्व की रक्षा करता है।
- **निवेश के लिए प्रोत्साहन:** समावेशी संस्थाएं उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं (जैसे, NIF)।
- **संधारणीयता:** संसाधन उपयोग को विनियमित करने वाली संस्थाएं (जैसे, NGT)।
- **विनियमन:** बेहतर विनियमन वाली संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती हैं (जैसे, CCI)।
- **गवर्नेंस:** कानून का शासन सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को कम करना (जैसे, CVC)।
- **समावेशी:** लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नीति-निर्माण में सुधार करती हैं (जैसे, TAC)।
- **संघर्ष का समाधान:** स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए, NALSA, लोक अदालतें)।

निष्कर्ष

आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं राष्ट्रीय समृद्धि के केंद्र में हैं। सुरक्षित अधिकार, निवेश प्रोत्साहन और सुशासन समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देते हैं।

3. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (EMPLOYMENT, LABOUR, AND SKILL DEVELOPMENT)

3.1 संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {Revamped Periodic Labour Force Survey (PLFS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- **संचालन एजेंसी:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- **मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा **2017** में प्रस्तुत किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)'** में शहरी क्षेत्रों (अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) के लिए **केवल तीन महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों** का अनुमान लगाना।
  - **'यूजुअल स्टेटस' (ps+ss) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS), दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों** का अनुमान लगाना।

PLFS में किए गए मुख्य बदलाव

- **राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमानों की उपलब्धता।**
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में **त्रैमासिक अनुमान** को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
- वर्ष 2025 से **कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग**।
- **सैंपल के आकार में** 2.65 गुना वृद्धि की गई है।
- जिले को **प्राथमिक भौगोलिक इकाई** बनाया गया है।
- शिक्षा, भूमि और घरेलू आय पर अधिक विस्तृत डेटा।

भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य पद्धतियां/ रिपोर्ट

- **रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम**
- **ILO रिपोर्ट्स**
- **जनगणना** (मुख्य और सीमांत श्रमिक)
- श्रम सांख्यिकी के आंकड़े और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI)

भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियों से संबंधित समस्याएं

- **डेटा में असंगतता**: सैंपलिंग पद्धतियों, सर्वेक्षण का समय आदि में अंतर के कारण।
- **कमजोर मापदंड**: CWS में यदि कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह में **कम से कम 1 घंटे कार्यरत रहा**, तो उसे "रोजगार प्राप्त (नियोजित)" माना जाता है।
- **परिभाषा में विसंगति**: भारत में रोजगार की परिभाषा **अंतर्राष्ट्रीय मानकों** के अनुरूप नहीं है।
- **कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति:** त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण बेरोजगारी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देता।
- **पिछले सैंपल का आकार** (2.72 लाख परिवार) अपर्याप्त था।

निष्कर्ष

पुनर्गठित PLFS श्रम आंकड़ों की गहनता और समयबद्धता को बढ़ाता है। सुसंगत परिभाषाएँ और तकनीक को अपनाना एक अधिक सुदृढ़ रोजगार डेटा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होगा।

3.2. वेतन वृद्धि में ठहराव (STAGNANT WAGES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि के बावजूद, भारत में पारिश्रमिक में वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख पाई है।

वेतन वृद्धि में ठहराव की स्थिति

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2023-24:**
  - **श्रमिक-जनसंख्या अनुपात** 2017-18 के **34.7%** से बढ़कर 2023-24 में **43.7%** हो गया, जो रोजगार वृद्धि को दर्शाता है।

- अस्थायी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ी है, लेकिन नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक **मुद्रास्फीति के कारण स्थिर बना** हुआ है।

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
  - वित्त वर्ष 2024 में **कॉर्पोरेट जगत का लाभ 22.3% बढ़ा है, लेकिन रोजगार में मात्र 1.5% की वृद्धि** हुई है।
  - पिछले चार वर्षों में भारतीय कंपनियों की EBITDA मार्जिन 22% पर स्थिर बने रहने के बावजूद, वेतन वृद्धि विशेष रूप से प्रवेश स्तर के IT संबंधी पदों पर धीमी रही है।

चिंताएं

- **अर्थव्यवस्था में गिरावट:** स्थिर वेतन वृद्धि से मांग कम हो जाती है, जिससे विकास धीमा हो सकता है।
- **आय में असमानता:** मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के मुनाफे में असमान वृद्धि से आय संबंधी असमानता बढ़ने का खतरा है।

निष्कर्ष

वेतन वृद्धि के साथ मुनाफ़े का संतुलन बनाए रखना माँग और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने की कुंजी है। श्रम-पूंजी का उचित वितरण दीर्घकालिक विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

3.3 गिग इकॉनमी (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने **'कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025'** जारी किया।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 'कल्याण बोर्ड' की स्थापना और गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित कोष बनाया जाएगा, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों, गिग श्रमिकों और सरकार की ओर से योगदान किया जाएगा।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण,** अनुचित बर्खास्तगी से सुरक्षा, और दो-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली।
- **राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य** है जहां **गिग वर्कर्स के कल्याण से संबंधित कानून लागू है।**

> **फैक्ट शीट**
>
> **भारत में गिग वर्कर्स (नीति आयोग के अनुसार)**
> - 7.7 मिलियन वर्कर्स गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं (2020-21)
> - गैर-कृषि क्षेत्रक कार्य-बल में 2.6% या कुल कार्य-बल में 1.5% हिस्सेदारी गिग वर्कर्स की है।
> - भारत में 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

गिग श्रमिक

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध** से बाहर आय अर्जित करता है।
- नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और कर्मचारी की स्थिति के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

गिग वर्कर्स के लिए चुनौतियां: नौकरी सुरक्षित नहीं होना, स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, एल्गोरिदम आधारित प्रबंधन से परेशानी, कंपनी के 'कर्मचारी' का दर्जा नहीं मिलना, आदि।

भारत में गिग इकॉनमी के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- **वेतन संहिता, 2019:** न्यूनतम वेतन कवरेज सुनिश्चित करता है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग वर्कर्स भी पंजीकृत हो सकते हैं।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों सहित गिग वर्कर्स को एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

आगे की राह

- **गिग वर्कर्स की संख्या का उचित आकलन**: इनकी अलग से गणना करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी लाना:** फिनटेक उद्योग का लाभ उठाकर।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, प्लेटफार्म क्षेत्र में महिला श्रमिकों को रोजगार।
- बेहतर रोजगार परिणामों के लिए कौशल पोर्टल (जैसे, ASEEM, ई-श्रम) को एकीकृत करना चाहिए।
- साझेदारी मोड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार करना चाहिए, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

यह अध्यादेश गिग कार्य को औपचारिक बनाने और अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी श्रम संहिता कार्यान्वयन, उचित परिस्थितियों और संस्थागत सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है।

3.4 कौशल विकास (SKILL DEVELOPMENT)

3.4.1 विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना (Bridging Global Workforce Gaps)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ORF ने **"इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 24.3% भारत से होगा।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ

- **कामकाजी आबादी:** वभारत की 1.4 अरब की आबादी में से 65% से ज़्यादा लोग कामकाजी उम्र के हैं।
- **कौशल में कमी की समस्या को दूर करना:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की 'ग्लोबल स्किल गैप स्टडी' से पता चलता है कि दुनिया भर में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है।

श्रम गतिशीलता की चुनौतियां

- **प्रवासन विरोधी नीतियां और स्थानीय भावनाएं:** संभावित प्रवासियों के लिए बाधाएं पैदा करना (H1B1 वीज़ा समस्या)।
- **व्यापक एकीकरण कार्यक्रमों की कमी:** प्रवासियों को उनके नए वातावरण के अनुकूल होने में मदद करना।
- **तकनीकी व्यवधान:** स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य संरचनाओं को नया रूप दे रहे हैं।

आगे की राह

- **वैश्विक मांग के अनुरूप तैयारी:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास में निवेश करना।
- **अंतरराष्ट्रीय समझौते:** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को मज़बूत करना और प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाना।
- **प्रवासन की लागत कम करना:** लेन-देन की लागत कम करना और वापस लौटने वाले श्रमिकों के पुनः एकीकरण में सहायता करना।

निष्कर्ष

भारत स्किल इंडिया मिशन, PMKVY और NEP 2020 जैसी पहलों के माध्यम से अपनी जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ उठा रहा है। इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ साझेदारी वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

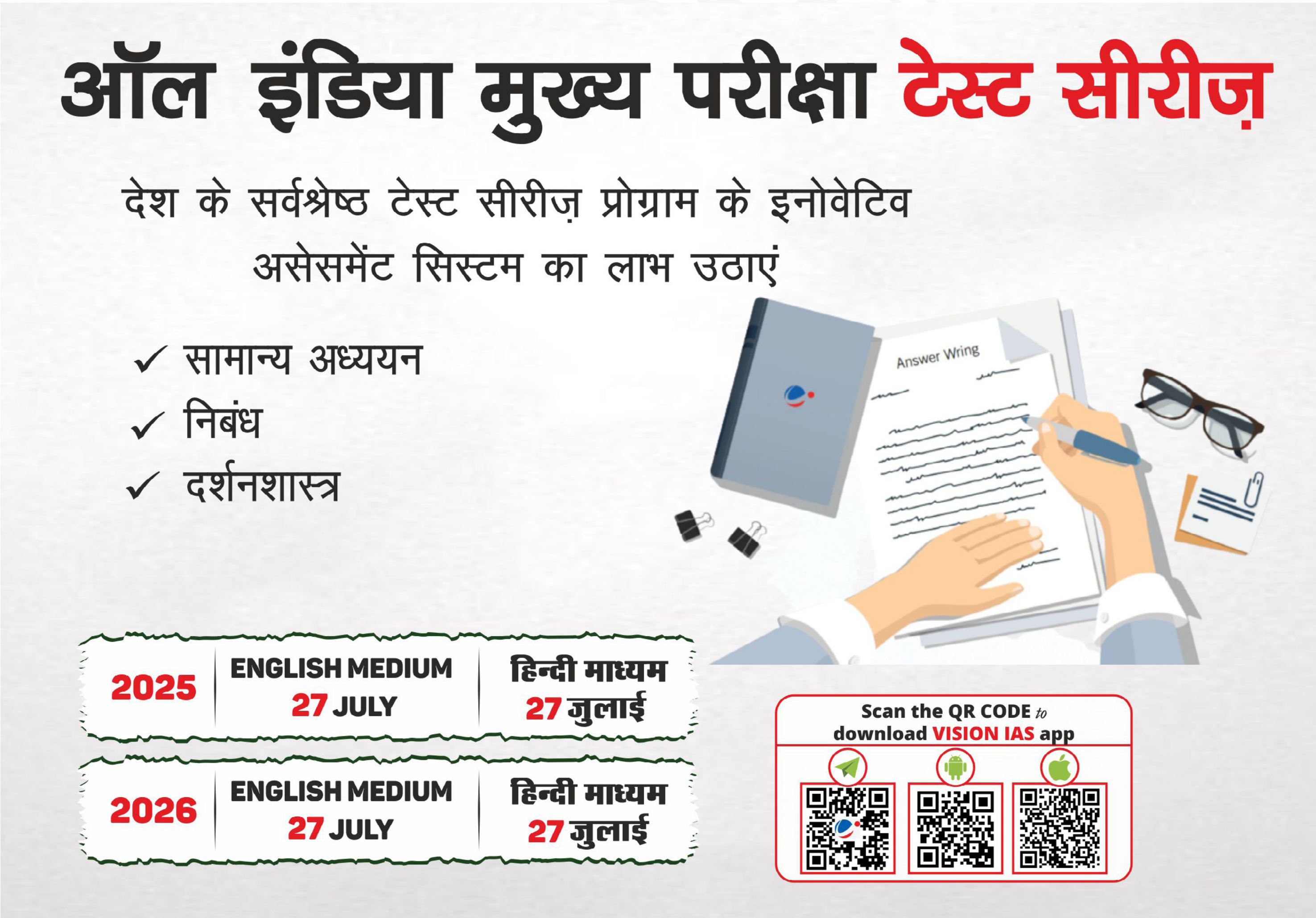

4. राजकोषीय नीति (FISCAL POLICY)

4.1 राज्य वित्त State Finances

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **'राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति

- **सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी):** 4.3% (1998-2004) से घटकर GDP का 2.7% (2004-24) हो गया।
- **राजस्व घाटा:** राज्य सरकारों ने GDP के 0.2% स्तर पर बनाए रखा है (2021-24)।
- **पूंजीगत परिव्यय:** पूंजीगत व्यय 2022-23 में GDP का 2.2% था, जो बढ़कर 2023-24 में 2.6% हो गया।
- **राज्यों का ऋण:** मार्च, 2004 के अंत में GDP के 31.8% के बराबर था, जो घटकर मार्च, 2024 के अंत में GDP के 28.5% पर आ गया।

कुछ राज्यों में राजकोषीय घाटा अभी भी अधिक क्यों है?

- **केंद्र से राज्यों को धन का कम अंतरण:** GST क्षतिपूर्ति की समाप्ति और वित्त आयोग अनुदान में 18% की गिरावट।
- **विद्युत क्षेत्रक का घाटा:** 2022-23 तक डिस्कॉम को 6.5 लाख करोड़ रुपये का घाटा (जीडीपी का 2.4%)।
- **बढ़ता सब्सिडी बोझ:** ऋण माफी और मुफ्त/ सब्सिडी सेवाएं।

राज्यों में राजकोषीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे/ समस्याएं

- **समय पर राजकोषीय डेटा की उपलब्धता का अभाव,** राज्य वित्त आयोगों की स्थापना में देरी, तथा खर्च में सीमित लचीलापन।
- **बाह्य अनिश्चितताएं** बजट अनुमानों को प्रभावित करती हैं।

राज्यों द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून** (FRLs) और MTFPs ने पारदर्शिता में सुधार किया।
- **संस्थागत सुधार:** नीति आयोग के सहयोग से राज्य परिवर्तन संस्थान।
- **व्यय एवं कर सुधार:** डीबीटी, एनपीएस, एसएनए मॉडल, जीएसटी अपनाना।
- **बाजार से फंड जुटाने में वृद्धि:** 17% (2005-06) से 79% (2024-25)।
- **विद्युत क्षेत्रक:** उदय योजना और अतिरिक्त उधार सीमा।
- **फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) रिपोर्ट 2025:** नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।

आगे की राह: रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **अगली पीढ़ी के राजकोषीय नियम:** प्रति-चक्रीय और जोखिम-आधारित ढांचे।
- बेहतर नीति-बजट संरेखण के लिए **मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क।**
- एआई और एनालिटिक्स का उपयोग करके **डेटा-आधारित राजकोषीय नीति निर्माण।**
- **डिस्कॉम (DISCOMs) में सुधार:** घाटे को कम करना, उत्पादकता में सुधार करना।
- **गोल्डन रूल:** वर्तमान व्यय के लिए वर्तमान राजस्व का उपयोग करें और पूंजीगत व्यय के लिए उधार का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यद्यपि राज्य सरकारों ने राजकोषीय अनुशासन दिखाया है, लेकिन बढ़ते व्यय को स्थिरता और राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता है।

4.2. प्रत्यक्ष कराधान (DIRECT TAXATION)

4.2.1. एंजेल टैक्स (Angel Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने **सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स** को समाप्त करने की घोषणा की है।

एंजल टैक्स क्या है?

- **परिभाषा:** एंजेल टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर है।
- **उद्देश्य:** इसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।
- **कानूनी प्रावधान:** यह **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत लगाया जाता था।
- **कवरेज:** पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था; बजट 2023-24 में इसे विदेशी निवेशकों तक बढ़ाया गया।

एंजल टैक्स क्यों समाप्त कर दिया गया है?

- **व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए:** एंजेल टैक्स ने स्टार्ट-अप पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और नियमों के पालन का बोझ बढ़ा दिया था; स्टार्ट-अप की रिवर्स फ़्लिपिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश प्रभाव:** 2023 में वैल्यू के स्तर पर फंडिंग में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई; एंजल टैक्स के कारण विदेशी निवेशकों की भागीदारी कम हो जाएगी।

एंजल टैक्स को समाप्त करने से संबंधित चिंताएं: सरकारी राजस्व में कमी आ सकती है; फर्जी कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसका दुरूपयोग होने की संभावना है।

निष्कर्ष

एंजेल टैक्स को खत्म करने से स्टार्टअप फंडिंग में बढ़ोतरी होगी। दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार को निवेशक पंजीकरण और स्वामित्व प्रकटीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

4.2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains: LTCG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा ने **अचल संपत्तियों (इमूवेबल प्रॉपर्टी)** पर **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर** प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **बजट 2024 में** 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई अधिकांश परिसंपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया गया है।
- **इंडेक्सेशन** मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करता है, जिससे कर योग्य पूंजीगत लाभ कम हो जाता है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **करदाताओं के लिए विकल्प:**
  - **पुरानी व्यवस्था:** 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% LTCG टैक्स का भुगतान करना।
  - **नई व्यवस्था:** इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG टैक्स का भुगतान करना (पहले के 20% टैक्स की तुलना में कम कर)।
- **छूट में वृद्धि:**
  - इक्विटी आधारित LTCG के लिए ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक।
  - ऐसे लाभ पर कर की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर क्या है?

- स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी **दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाने वाला कर।**
- **होल्डिंग अवधि:** इक्विटी के लिए 12 महीने से अधिक, अचल संपत्तियों के लिए 24 महीने से अधिक।
- **नई दरें** परिसंपत्ति के प्रकार और धारण अवधि के अनुसार लागू होंगी।

संशोधनों से जुड़ी चिंताएँ

- **उच्च कर देयता:** इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG कर का बोझ बढ़ा सकता है।
- संपत्तियों के मूल्य को कम दिखाना, काले धन और कर चोरी का जोखिम।
- अचल संपत्ति में दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकता है।

निष्कर्ष

इंडेक्सेशन हटाने से कराधान सरल हो जाता है, लेकिन इससे मूल्यांकन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और देनदारियां बढ़ सकती हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए संतुलित सुधारों की आवश्यकता है।

4.2.3. इक्विलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल कर **1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं** होगा।

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा शुरू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है।
- यह नियम भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा **विज्ञापन और ई-कॉमर्स सेवाओं से अर्जित डिजिटल आय** पर लागू होता है।
- **वित्त अधिनियम, 2020** के तहत इस लेवी के दायरे में ई-कॉमर्स **आपूर्ति और सेवाओं** को भी लाया गया है।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण			
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा	**कर अंतराल को पाटना**	**विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना**	**राजस्व संग्रह**

संबंधित चिंताएँ

- अमेरिका के साथ **व्यापार तनाव ; इसे व्यापार बाधा के रूप में देखा जाता है।**
- अन्य देशों से **जवाबी टैरिफ का खतरा।**
- विदेशी कंपनियों के लिए **दोहरा कराधान और अनुपालन बोझ।**

निष्कर्ष

हालांकि इसने डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने में निष्पक्षता को बढ़ावा दिया, लेकिन इस कर ने व्यापारिक समस्याओं को भी जन्म दिया। अप्रैल 2025 से इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना डिजिटल कराधान पर वैश्विक सहमति की ओर एक कदम को दर्शाता है।

4.3 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क (INFLATION TARGETING FRAMEWORK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में यह सुझाव दिया गया है कि भारत के **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क से खाद्य कीमतों को बाहर** किया जाए। इससे **नीतिगत उपायों पर बहस** फिर से शुरू हो गई है।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

- **2016 में अपनाया गया:** आरबीआई ने **सीपीआई मुद्रास्फीति को 4% ± 2% पर लक्षित किया।**
- **खाद्य पदार्थों की कीमतें** (सीपीआई का ~45%) अस्थिर आपूर्ति (जैसे टमाटर, प्याज, तिलहन) के कारण मुद्रास्फीति को भारी रूप से प्रभावित करती हैं।

खाद्य मदों को बाहर रखने के पक्ष में तर्क	खाद्य मदों को बाहर रखने के विपक्ष में तर्क
• **खाद्य मुद्रास्फीति** आपूर्ति-संचालित है (जैसे- मौसम, कीट, वैश्विक संकट, आदि कारक) और मौद्रिक उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है। • **प्रो-साइक्लिक मौद्रिक नीति से बचना:** ढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि से **आर्थिक संवृद्धि दर कम** हो सकती है। • **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** कई केंद्रीय बैंक (जैसे, अमेरिकी फेडरल रिजर्व) नीति निर्माण के लिए **कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।** • **दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** अल्पकालिक, प्रतिक्रियात्मक उपायों से बचने से स्थिर निवेश वातावरण संभव होता है।	• **सार्वजनिक धारणा एवं विश्वसनीयता:** दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, विशेषकर गरीबों को - जनता का विश्वास खतरे में। • **सेकंड-राउंड इफेक्ट्स:** खाद्य मुद्रास्फीति, मुख्य मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। • मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण व्यवस्था की **जवाबदेही कमजोर हो** सकती है। • **कोर मुद्रास्फीति** भी अपूर्ण है - इससे नीतिगत त्रुटियां हो सकती हैं।

आगे की राह

- **हाइब्रिड मॉडल:** मुख्य CPI को लक्ष्य करना जारी रखें; नीति मार्गदर्शन के लिए कोर मुद्रास्फीति का उपयोग करें।
- **आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना** , कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स में निवेश करें।
- खाद्य अस्थिरता को कम करने के लिए **बफर स्टॉक और व्यापार नीति का उपयोग करें।**
- जलवायु और वास्तविक समय के आंकड़ों का उपयोग करके **पूर्वानुमान मॉडल में सुधार करें**

निष्कर्ष

खाद्य कीमतों को शामिल न करने से नीतिगत सटीकता में सुधार हो सकता है, लेकिन जनता के विश्वास को खतरा हो सकता है। मुख्य और मुख्य मुद्रास्फीति को संतुलित करने वाला एक मिश्रित दृष्टिकोण एक विवेकपूर्ण रास्ता है।

5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (BANKING, PAYMENT SYSTEMS AND FINANCIAL MARKETS)

5.1. बैंकिंग क्षेत्रक (BANKING SECTOR)

5.1.1 तरलता घाटा (Liquidity Deficit)

समाचार में क्यों?

जनवरी 2025 में बैंकिंग प्रणाली की तरलता 15 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंचने के कारण आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के उपाय किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी निम्नलिखित माध्यमों से बढ़ाया जाता है:
  - **खुला बाजार परिचालन (ओएमओ):** 50,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की है।
  - **USD/INR विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी:** 36 महीनों के लिए 10 बिलियन डॉलर।
- **तरलता घाटा:** जनवरी 2025 में 3.15 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया।

लिक्विडिटी डेफिसिट के लिए जिम्मेदार कारक

- **कर भुगतान के लिए बैंकों से धन निकासी:** कॉर्पोरेट्स द्वारा 3 ट्रिलियन रुपये से अधिक अग्रिम कर का भुगतान किया गया।
- **जस्ट इन टाइम (JIT) - सिंगल नोडल अकाउंट (SNA)-SPARSH ट्रांजिशन:** तीव्र गति से धन हस्तांतरण से बैंकिंग प्रणाली में अस्थिरता कम हुई।
- **पूंजी निवेश में अस्थिरता:** FIIs द्वारा की गई बिकवाली से देश से बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर चली गई है।
- **RBI द्वारा डॉलर बिक्री:** विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के माध्यम से रुपये को समर्थन मिला, जिससे रुपये की तरलता अवशोषित हो गई।

लिक्विडिटी डेफिसिट के प्रबंधन के लिए RBI के पास विकल्प: चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF), खुला बाजार परिचालन (OMOs), बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), विदेशी मुद्रा स्वैप, आदि।

निष्कर्ष

हालिया तरलता घाटा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लचीले और संतुलित मौद्रिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

5.1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन (Revised Priority Sector Lending Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों** में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है।

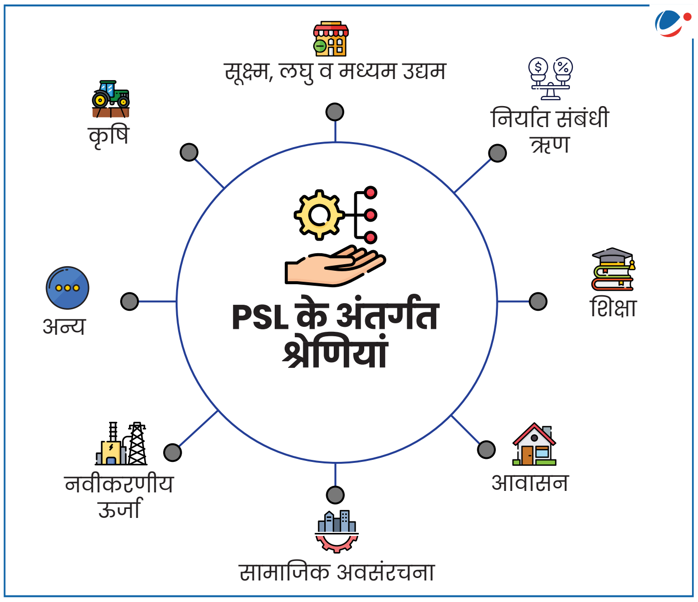

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड

- **इंसेंटिव फ्रेमवर्क:** कम ऋण वितरण वाले जिलों में PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **अधिक भारांश (125%)** दिया जाएगा।
- **डिसइनसेंटिव फ्रेमवर्क:** उ**अधिक ऋण प्राप्त** करने वाले जिलों में **(प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक)** में, भारांश घटाकर 90% कर दिया गया।
- **तटस्थ व्यवहार:** अन्य जिलों को 100% महत्व दिया जाता है।
- **MSME ऋण:** MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण **PSL श्रेणी** में आएंगे।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) के लिए नए मानदंडों की आवश्यकता क्यों है?

- ऋण पोर्टफोलियो / ऋण वितरण के मामले में **क्षेत्रीय**

असमानताओं को दूर करने के लिए।
- **MSME क्षेत्रक के लिए ऋण प्रवाह की कमी** को दूर करने के लिए।
- **विनिर्माण उद्योग अथवा वस्तुओं के उत्पादन देने के लिए।**

"प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL)" के बारे

- **PSL देश समावेशी विकास** के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे, कृषि, MSMEs, शिक्षा, आवास) को लक्षित करता है।
- **अनिवार्य ऋण:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 40% है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए यह 75% है।

PSL से संबंधित मुद्दे

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs):** कुछ अध्ययनों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के चलते अधिक NPA बना है और **NPA को बट्टे खाते में डाला गया (राइट ऑफ)** है।
- **लागत में वृद्धि होना:** PSL संबंधी शर्तों के पालन की वजह से बैंकों की प्रशासनिक और लेन-देन लागत में वृद्धि हुई है।
- **PSL से जुड़ी अन्य समस्याएं:** बैंकों की लाभप्रदता कम हुई है, बैंकों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है, आदि।

आगे की राह

- वंचित क्षेत्रों में **सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और लघु वित्त बैंकों को बढ़ावा देना।**
- वितरण लागत कम करने के लिए **डिजिटल उपकरणों (जैसे, मोबाइल बैंकिंग ऐप) का लाभ उठाएं।**
- ऋण-योग्यता का आकलन करने के लिए एआई-संचालित जोखिम उपकरणों के साथ **मजबूत ऋण अवसंरचना का निर्माण करें।**

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन हासिल करने में PSL की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालाँकि, इसकी सफलता अब स्थायी, समावेशी ऋण विस्तार के लिए **नीतियों के पुनर्निर्धारण, लक्षित प्रोत्साहनों और तकनीक-आधारित वितरण मॉडल पर निर्भर करती है।**

5.1.3. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (One State, One RRB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने **"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय** को अधिसूचित किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में

- **स्थापना:** 1975 (नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिश)।
- **स्वामित्व:** केंद्र सरकार (50%) + राज्य सरकार (15%) + प्रायोजक बैंक (35%)।
- **विनियमन:** RBI (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949) एवं नाबार्ड पर्यवेक्षण।
- **प्राथमिकता ऋण:** आरआरबी को **ANBC** या **CEOBE** का 75% **PSL** क्षेत्रों को आवंटित करना होगा।

RRBs की स्थिति

- 700 जिलों में 22,000 शाखाएँ हैं, जिनमें 26.6 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।
- भारत में RRBs की 92% शाखाएँ ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं (मार्च 2024)। वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- 2022-23 में, **कुल कृषि जमीनी-स्तर ऋण वितरण में** RRBs **का हिस्सा 11.2% था।**

एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्व

- **व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि:** RRBs का कुल कारोबार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में, **वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 5.2%** तक पहुंचने की उम्मीद है, जो **वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.7%** था।
- **वित्तीय लाभ:**एकीकृत RRBs का **पूंजी आधार बड़ा होगा**। **बेहतर अनुपालन** जैसे कि धन शोधन निरोधक जांच, KYC सत्यापन और आरबीआई एवं नाबार्ड को रिपोर्ट करना।
- **बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता:** एकत्रित संसाधन और विशेषज्ञता विविध और स्थानीय रूप से अनुकूलित उत्पादों (जैसे **माइक्रोफाइनेंस विकल्प, बीमा योजना आदि) की अनुमति दे सकते हैं।**
- **समेकित आईटी और तकनीकी अवसंरचना:** परिणामस्वरूप साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम आदि में सुधार होगा।

- **अन्य लाभ:** शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण के कारण परिचालन दक्षता, क्षेत्रीय रूप से मजबूत प्रायोजक बैंकों द्वारा बेहतर निगरानी और परिचालन मार्गदर्शन।

RRBs के एकीकरण में चुनौतियां

- **परिचालन:** एकीकृत बैंकों की परिचालन एवं संगठनात्मक संरचना में अंतर।
- **वित्तीय:** खाता बही और लेखा प्रणालियों में परिवर्तनशीलता .
- **शासन: कार्यबल पुनर्गठन और कर्मचारी आंदोलन** से संबंधित मुद्दे ।
- ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप से संबंधित **डेटा की उच्च मात्रा**

निष्कर्ष

"एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" मॉडल की सफलता मानव संसाधन नीतियों, तकनीकी प्रणालियों और शाखा संचालन में सामंजस्य पर निर्भर करती है। इससे NPA की वसूली में तेजी लाने, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने और नियमित वित्तीय समीक्षा करने से चुनौतियों का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता एवं ग्रामीण समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

5.2. वित्तीय बाजार (FINANCIAL MARKET)

5.2.1 वित्तीयकरण (Financialisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति 'वित्तीयकरण' (Financialisation) के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है

वित्तीयकरण क्या है ?

- एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वित्तीय बाजार, संस्थाएं और अभिजात वर्ग आर्थिक नीति और परिणामों पर हावी हो जाते हैं, तथा निवेश भौतिक परिसंपत्तियों (**जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण आदि**) से वित्तीय परिसंपत्तियों (**जैसे म्यूचुअल फंड**) की ओर स्थानांतरित हो जाता है।

वित्तीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारक			
खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ **मध्यम वर्ग का उदय।**	लोगों में मुद्रास्फीति के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में **अन्य विकल्पों से अधिक रिटर्न हासिल करने की इच्छा।**	सरकार द्वारा **फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन।**	डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन का **बढ़ता स्तर।**

अति वित्तीयकरण एक चिंता का विषय क्यों है?

- **असमानता में वृद्धि:** वित्तीय लाभ शीर्ष 1% के बीच केंद्रित है।
- **अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** ऐसा इस कारण, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजा **वित्तीय निवेश से अधिक लाभ** होने लगता है।
- **घरेलू ऋण:** वास्तविक आय में ठहराव के कारण अधिक उधार लेना पड़ता है।
- **नीतिगत जोखिम:** यह प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करता है ।

निष्कर्ष

अनियंत्रित वित्तीय बाज़ार वृद्धि वास्तविक आर्थिक वृद्धि से आगे निकल सकती है—संभावित रूप से संकटों को जन्म दे सकती है। भारत को अपने वित्तीय क्षेत्र के क्रमिक, व्यवस्थित विकास की आवश्यकता है।

5.2.2. डिजिटल भुगतान (DIGITAL PAYMENTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UPI ने 650 मिलियन से अधिक दैनिक लेनदेन के साथ वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल भुगतान क्रांति का नेतृत्व किया।

भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति

- **UPI लेनदेन:** 2024 में, UPI के माध्यम से लगभग 172 बिलियन लेनदेन हुए, जो 2023 के 117.64 बिलियन से 46% अधिक है।
- **डिजिटल प्रभुत्व:** भारत में 40% से अधिक भुगतान डिजिटल माध्यम से होते हैं (विश्व में सर्वाधिक डिजिटल लेन-देन)।
- **क्रेडिट कार्ड वृद्धि:** पांच वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** पीयर-टू-पीयर और मर्चेंट भुगतान के लिए त्वरित, अंतर-संचालनीय प्रणाली।

- **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS):** रियल टाइम में, 24x7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा
- **फास्टैग (NETC):** वाहनों के लिए RFID प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वचालित टोल संग्रह प्रणाली।
- **धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी:** वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए **जन धन खातों, आधार और मोबाइल का** लाभ उठाया गया।

डिजिटल भुगतान में चुनौतियाँ

- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है।
- **सीमित वित्तीय समावेशन:** हालांकि जन धन खाते खोले गए हैं, लेकिन उनमें से कई खाते निष्क्रिय बने हुए हैं।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और डेटा चोरी की बढ़ती घटनाएं।
- **विश्वास की कमी:** लेन-देन की विफलता और धन हानि का डर डिजिटल लेनदेन अपनाने को हतोत्साहित करता है।

आगे की राह

- **साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना:** धोखाधड़ी का पता लगाने, शिकायत निवारण आदि के लिए मजबूत फ्रेमवर्क।
- **मजबूत और सुरक्षित भुगतान प्रणाली** ,डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी कानून।
- और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने **के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना।आदि।**
- **इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना,** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

UPI के तेजी से बढ़ते विकास के कारण भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, लेन-देन की मात्रा और नवाचार में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। हालाँकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी, सुरक्षित और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

5.2.3. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY: CBDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने **'डिजिटल डॉलर'** या अमेरिकी **'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)'** शुरू करने के प्रस्ताव को रोकने हेतु एक कार्यकारी आदेश जारी किया।।

CBDC के बारे में

- RBI के अनुसार CBDC एक कानूनी मुद्रा (Legal Tender) है और यह केंद्रीय बैंक की देनदारी होती है, जो डिजिटल स्वरूप में संप्रभु मुद्रा (Sovereign Currency) के रूप में जारी की जाती है और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर दर्ज होती है।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) प्रकार**
  - **होलसेल CBDCs:** इसका उपयोग इंटर-बैंक भुगतान और प्रतिभूति लेन-देन के लिए बैंकों और अन्य लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के बीच किया जाता है।
  - **रिटेल CBDCs**: यह आम जनता के लिए डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से उपलब्ध है।

भारत के डिजिटल रुपी (e₹) के बारे में

- यह फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। इसे **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। यह **सामान्य मुद्राओं (नोट) के मूल्यवर्ग** (जैसे 100 रुपये का नोट) में उपलब्ध है।
- यह **दिसंबर 2022** से **15 बैंकों** के साथ **पायलट मोड** में उपयोग में है।

CBDCs के संभावित लाभ

- **वित्तीय समावेशन:** यह बैंकिंग सेवाओं से वंचित या कम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को डिजिटल भुगतान सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
- **लेन-देन की लागत में कमी:** वाणिज्यिक बैंकों जैसे मध्यस्थों को समाप्त करके।
- **नकदी पर निर्भरता में कमी:** भौतिक मुद्रा के मुद्रण, वितरण और प्रबंधन की लागत को कम करने में सहायता।
- **अन्य: मौद्रिक नीति के प्रभाव में सुधार करना;** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान को सरल और तेज बना सकता है, जिससे SWIFT जैसे मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम होगी।

CBDCs से जुड़ी चुनौतियां

- **वित्तीय स्थिरता से समझौता हो सकता है :** साइबर हमलों, हैकिंग और डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं** : लेनदेन ट्रैकिंग और पहचान सत्यापन से डेटा सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** यह तकनीकी रूप से अधिक कुशल लोगों और कम कुशल लोगों के बीच की खाई बढ़ सकती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय नियामक चुनौतियाँ** : वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना।
- **मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा:** यदि लोग अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में विदेशी सीबीडीसी को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष

CBDC वित्तीय प्रणाली को बदल सकते हैं, लेकिन अनपेक्षित जोखिमों से बचने के लिए उन्हें **मजबूत विनियमन, गोपनीयता सुरक्षा** और **डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ लागू किया जाना चाहिए।**

5.2.4. UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण (INTERNATIONALIZATION OF UPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने हेतु साझेदारी की है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के बारे में

- UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक रीयल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु पहलें

- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL):** वैश्विक स्तर पर UPI को बढ़ावा देने के लिए 2020 में स्थापित; अब UPI के जरिये **यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस** जैसे देशों में भुगतान किया जा सकता है।
- **UPI की वैश्विक स्वीकृति:** उपयोगकर्ताओं को भारतीय बैंक खातों का उपयोग करके UPI ऐप्स के जरिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को क्यूआर कोड स्कैन आधारित भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- **विदेशों से भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना:** UPI उपयोगकर्ता अब विदेशों से सीधे रेमिटेंस प्राप्त कर सकते हैं।
- **अनिवासी भारतीयों (NRI) को शामिल करना:** अब 'अनिवासी (बाह्य) अकाउंट' धारक अनिवासी भारतीय लेनदेन के लिए UPI का प्रयोग कर सकते हैं।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का विकल्प:** स्विफ्ट (SWIFT) जैसी भुगतान प्रणालियों की जगह ले सकता है।
- **क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण** और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देता है।
- **ग्लोबल साउथ में नेतृत्व:** भारत की UPI ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विकास का संधारणीय मार्ग प्रदान कर सकती है।
- **डिजिटल कूटनीति** : तकनीकी समाधानों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।
- **भारत के लिए नए अवसर:** जैसे कि भारतीय पर्यटक अब संयुक्त अरब अमीरात में नियोपे टर्मिनलों पर UPI से भुगतान कर सकते हैं।

UPI को वैश्विक स्तर पर अपनाने में चुनौतियाँ

- **मुद्रा रूपांतरण और वॉलेट** को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने जैसे विनियामक मुद्दे ।
- विदेशी स्वामित्व वाले UPI ऐप्स से **प्रतिस्पर्धा।**
- पारंपरिक बैंकों के लिए **उच्च एकीकरण लागत अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।**

निष्कर्ष

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) **को** अन्य देशों में निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

5.2.5. सीमा-पार भुगतान: एक नज़र में (CROSS BORDER PAYMENTS AT A GLANCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने रुपये में सीमा पार लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की।

सीमा पार भुगतान

- सीमापार भुगतान वे लेनदेन हैं जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में **प्रेषक** और **प्राप्तकर्ता अलग-अलग देशों में स्थित** होते हैं।

सीमा पार भुगतान की स्थिति

- **भारत:** 2024 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य 206.5 बिलियन डॉलर था और 2034 तक इसके 414.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **वैश्विक:** 2022 में वैश्विक सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य 181.9 ट्रिलियन डॉलर था और 2032 तक इसके 356.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

सीमा पार भुगतान में बाधाएँ

- अलग-अलग देशों के अलग-अलग सरकारी विनियम
- वित्तीय डेटा के मानकीकरण का अभाव
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम** (मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद संबंधी वित्त-पोषण और साइबर फ्रॉड)।
- **उच्च लागत और** निपटान में देरी

पहलें

- प्रोजेक्ट नेक्सस में RBI शामिल हुआ, जो **तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।**
- **ब्रिक्स ब्रिज:** ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तावित भुगतान प्रणाली।
- **mBridge परियोजना:** तीव्र, किफायती और अधिक सुरक्षित सीमा-पार भुगतान सक्षम करना।
- UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, INR में व्यापार निपटान तंत्र आदि।

आगे की राह

- **सुनियोजित रूप से डेटा आदान-प्रदान के लिए एक सुसंगत ISO 20022 संस्करण** अपनाना
- सीमा पार भुगतान में **विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग** स्थापित करना
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) जैसी नई पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की संभावित भूमिका** का पता लगाना।
- **अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय विनियमों** का अनुपालन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

भारत अपनी सीमापार भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसका उद्देश्य लेनदेन को तीव्र, सस्ता और अधिक सुरक्षित बनाना है। बढ़ती बाज़ार संभावनाओं और वैश्विक सहयोग के साथ, एक कुशल और समावेशी सीमा-पार भुगतान प्रणाली बनाने के लिए **नियमों**, **प्रौद्योगिकी** और **सुरक्षा** से जुड़े चुनौतियों का समाधान करना ज़रूरी होगा।

6. बाह्य क्षेत्रक (EXTERNAL SECTOR)

6.1. बड़े व्यापार समझौतों का महत्व (IMPORTANCE OF LARGE TRADE AGREEMENTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** के **सी.ई.ओ.** ने वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया कि भारत को **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** जैसे **बड़े व्यापार समझौतों में शामिल** होना चाहिए।

बड़े व्यापार समझौतों में भागीदारी का महत्त्व

- **निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा:** व्यापार समूह और FTA बड़े निर्यात बाजारों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं और भारत की विनिर्माण क्षमता को साकार करने में मदद करते हैं।
- **व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता:** आसियान के साथ टैरिफ समानता निजी निवेश को आकर्षित कर सकती है और भारत को 'चीन प्लस वन' रणनीति का लाभ उठाने में सक्षम बना सकती है।
- **FDI और रोजगार:** समझौते FDI को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में मदद करते हैं।
- **रणनीतिक प्रासंगिकता:** एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के साथ संरेखित है और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करती है।
- **आर्थिक लाभ:** अध्ययनों से पता चलता है कि भारत RCEP में शामिल पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक 60 बिलियन यू.एस. डॉलर का लाभ हो सकता है।
- **डिजिटल व्यापार और सेवाएं:** नए एफटीए (जैसे, यूएई के साथ) में डिजिटल व्यापार शामिल है और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर किया गया है।

व्यापार समझौतों में चुनौतियाँ

- **व्यापार घाटे का जोखिम:** RCEPमें चीन का व्यापारिक प्रभाव अधिक है जिससे भारत का मौजूदा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा और भी बढ़ सकता है।
- **ओवरलैपिंग FTA:** भारत का RCEP के 15 में से 13 सदस्यों के साथ पहले से ही FTA हैं, जिससे स्पैगेटी बाउल प्रभाव पैदा हो रहा है।
- **कम मूल्य वाले निर्यात:** भारत के निर्यात में अभी भी उच्च तकनीक सामग्री का अभाव है (~ 10%)।
- **एनटीबी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:** गैर-टैरिफ बाधाएं व्यापार को 2-11% तक कम कर सकती हैं; ईंधन निर्यात गुणवत्ता जैसे मुद्दों ने भारत-जापान एफटीए को प्रभावित किया।
- **स्थानीय उद्योग पर दबाव:** FTA से डेयरी जैसे घरेलू क्षेत्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- **सीमित क्षेत्रीय व्यापार:** SAFTA से कोई महत्वपूर्ण व्यापार लाभ नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **रणनीतिक FTA वार्ता:** बेहतर शर्तों के लिए चर्चा जारी रखें, तथा वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करें।
- **लागत-लाभ विश्लेषण:** RCEP जैसे बड़े समूहों में शामिल होने पर हितधारकों के साथ गहन परामर्श।
- **व्यापार सुविधा:** लॉजिस्टिक्स के उच्च लागत, इनवर्टेड ड्यूटी और उत्पत्ति के नियमों का समाधान करना।
- **मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना:** उच्च मूल्य और तकनीक-प्रधान वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाना :** चरणबद्ध तरीके से टैरिफ में कमी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण।
- **एनटीबी को संबोधित करना:** मौजूदा और भविष्य के एफटीए में गैर-टैरिफ और विनियामक बाधाओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

भारत की उभरती हुई मुक्त व्यापार समझौते (FTA) रणनीति वैश्विक एकीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन को दर्शाती है। घरेलू हितों की रक्षा करते हुए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सुनियोजित, आँकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।

6.2. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 में **मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के प्रावधानों में संशोधन** के संबंध में घोषणा की गई थी, ताकि इसे और अधिक **निवेशक-अनुकूल** बनाया जा सके

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बारे में

- **परिभाषा:** मेजबान राज्यों के विनियामक अधिकारों को संरक्षित करते हुए विदेशी निवेशकों की सुरक्षा करने वाले समझौते।
- **उद्देश्य:** निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) या राज्य-राज्य विवाद निपटान को सक्षम बनाना।

- **भारत का मॉडल BIT 2015:** भारतीय मॉडल BIT, 1993 का स्थान लिया; BIT/FTA वार्ता का मार्गदर्शन करता है (उदाहरण के लिए, 2024 में उज्बेकिस्तान, यूएई के साथ समझौते)।

मॉडल BIT 2015 की मुख्य विशेषताएं

- **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** मेजबान राज्य के कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता होती है।
- **उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार:** विदेशी/घरेलू निवेशकों के लिए समान दर
- **एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिहरण) के खिलाफ सुरक्षा:** परिसंपत्तियों के राज्य अधिग्रहण को सीमित करता है।
- **विनियामक कटौती:** कराधान, सब्सिडी, राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़कर।
- **ISDS तंत्र:** 5-वर्षीय स्थानीय उपचार समाप्ति को अनिवार्य बनाता है।

भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं

- **अस्पष्टता:** "निवेश" जैसे अस्पष्ट शब्द विवादों को बढ़ावा देते हैं (37 नोटिस, 8 सक्रिय मामले)।
- **न्यायिक विलंब:** 5-वर्षीय स्थानीय उपचार नियम से लंबित मामले और बिगड़ गए।
- **ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध:** घरेलू अदालत के "गुणों" की समीक्षा पर रोक।
- **निवेशक प्रतिबंध:** कोई MFN/FET धारा नहीं; कर अपवर्जन; केवल मौद्रिक पुरस्कार।
- **गैर-आईसीएसआईडी सदस्यता:** प्रवर्तन में बाधा (भारत विश्व बैंक के आईसीएसआईडी का हिस्सा नहीं है)।

निष्कर्ष

भारत के BIT में संशोधन का उद्देश्य निवेशकों की चिंताओं का समाधान करना है। एक संतुलित, निवेशक-अनुकूल ढाँचा नियामक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए विदेशी निवेश को बढ़ा सकता है।

6.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FOREIGN DIRECT INVESTMENT: FDI)

6.3.1. FPI का FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क (Framework for Reclassification of FPI to FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **FPIs** किसी भारतीय कंपनी में उसकी कुल पेड-अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम **10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश कर सकते हैं।**
- यदि यह सीमा पार हो जाती है, FPIs के पास **दो विकल्प होते थे-** अधिशेष **शेयरों को बेचना** या **FDI के रूप में रीक्लासिफ़ाइ** हो जाना।
- नये **ढांचे में** रीक्लासिफ़ाइकी प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

FPI को FDI के रूप में रीक्लासिफ़ाइ करने के संबंध में RBI का नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क

- क्लासिफिकेशन की सुविधा की **अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- **विशेष रूप से सीमावर्ती देशों** से FPI निवेश के लिए **सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है,**।
- निवेश को FDI के नियमों के तहत **प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप्स, निवेश सीमा, मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित शर्तों** का पालन करना चाहिए।
- FPI का रीक्लासिफिकेशन **"विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमन, 2019"** द्वारा निर्देशित होगा।

निष्कर्ष:

यह ढांचा विनियामक स्पष्टता प्रदान करता है और FPI से FDI में संक्रमण को सुगम बनाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।

6.4. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि (UN Global Tax Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को "अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन" के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हाल ही में, इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह संधि एक वैध, स्थिर और प्रभावी वैश्विक कर प्रणाली की मांग करती है।
- भारत सहित विकासशील देशों द्वारा समर्थित; कुछ औद्योगिक देशों द्वारा विरोध।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन के उद्देश्य

- **अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना।**
- डिजिटलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से **उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करना।**
- विकास और सतत विकास लक्ष्यों के लिए **घरेलू संसाधनों को जुटाना।**
- विकास के लिए वित्तपोषण पर **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा को लागू करना।**

वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग (स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024 रिपोर्ट)

- वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को **प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान** हो रहा है।
- इसमें से **दो-तिहाई का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों** द्वारा किया जाता है; एक तिहाई हिस्सा विदेशों में धन छिपाने से।
- **43% नुकसान आठ प्रमुख OECD सदस्य देशों** के कारण होता है, जो **यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन** का विरोध कर रहे हैं।

वैश्विक कर सुधार

- **OECD की वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) नीति:** 15% न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर।
- **OECD की 'बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)' कार्य योजना:** यह कर की चोरी से निपटने के लिए सरकारों को साधन उपलब्ध कराती है।
- **OECD का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS):** यह वित्तीय खातों के बारे में सूचना के स्वतः आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र कर संधि कर दुरुपयोग को रोकने और समानता बढ़ाने का एक वैश्विक अवसर प्रदान करती है। धन और अतिरिक्त लाभ पर कर असमानता को कम करने और जन कल्याण में सहायक हो सकते हैं।

6.5. दोहरा कराधान परिहार समझौता (DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENT: DTAA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ अपने **दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA)** में **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज** को निलंबित कर दिया है।

DTAA के बारे में

- **स्रोत और निवास देशों** में समान आय पर **दोहरे कराधान को रोकता है।**
- **90 से अधिक देशों** के साथ DTAA , जिनमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है (1994 से, 2010 में संशोधित)।
- MFN क्लॉज किसी अन्य तीसरे देशों को दी जाने वाली कम कर दरों को स्वचालित रूप से लागू नहीं करता है।

दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में MFN क्लॉज

- यह संधि निश्चित करता है कि कोई देश दूसरे देश को भी वही या उससे बेहतर कर लाभ प्रदान करे जो वह अपने किसी अन्य "सबसे पसंदीदा (Most favored)" संधि साझेदार को प्रदान करता है।
- **उदाहरण के लिए,** यदि भारत फ्रांस को कम लाभांश कर दर प्रदान करता है, तो स्विट्ज़रलैंड भी ऐसा ही दावा कर सकता है।
- **MFN सिद्धांत WTO फ्रेमवर्क में भी शामिल है।**

वैश्विक कर प्रशासन में डीटीएए का महत्व				
कानूनी निश्चितता प्रदान करता है	पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया प्रदान करता है	कर चोरी की रोकथाम	कुछ डीटीएए में दुर्व्यवहार-विरोधी धाराएं शामिल हैं।	कर बचत

DTAA की संरचना से जुड़ी हुई चुनौतियां

- **संधि का दुरुपयोग: उदाहरण के लिए,** पूंजीगत लाभ छूट के लिए मॉरीशस रूट का दुरुपयोग किया गया।
- **DTAA की व्याख्या पर विवाद** दोहरे कराधान और देरी का कारण बन सकता है।
- **DTAA को घरेलू कानूनों के साथ संरेखित करने** संबंधी मुद्दे (उदाहरण के लिए, 2023 नेस्ले विवाद)।
- **MAP** दोहरे कराधान विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष

स्विट्ज़रलैंड द्वारा भारत-स्विट्ज़रलैंड DTAA के MFN क्लॉज़ को निलंबित करना उभरते वैश्विक कर मानदंडों को और बेहतर बनाने की जरूरत को प्रदर्शित करता है।, तथा संधि की स्पष्ट व्याख्या तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुसंगतता के महत्व को रेखांकित करता है।

6.6. रुपये का मूल्यह्रास (Rupee Depreciation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रुपए में पिछले दो वर्षों में **सबसे अधिक गिरावट आई** और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के स्तर को पार कर गया।

रुपये के मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक

- **उच्च मुद्रास्फीति** रुपये की क्रय शक्ति को कम करती है।
- विदेशी निवेशकों द्वारा **पूंजी का बहिर्गमन।**
- **व्यापार घाटा** और कच्चे तेल जैसे उच्च मूल्य वाले आयात पर भारी निर्भरता।
- **वैश्विक कारक** जैसे अमेरिकी ब्याज दर में वृद्धि।
- **अल्पकालिक विदेशी मुद्रा देनदारियां** परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
◆ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है । ◆ विप्रेषण (रेमिटेंस) का मूल्य बढ़ता है। ◆ निर्यात में वृद्धि होने से देश मेंघरेलू निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।	◆ आयात लागत और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ◆ इससे FDI हतोत्साहित होगा और पूंजी पलायन हो सकता है। ◆ विदेशी ऋण चुकाने की लागत बढ़ जाती है।

रुपये को स्थिर बनाने के लिए आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:**
  - RBI बाजार में डॉलर बेच सकता है, मुद्रा विनिमय, आयात नियंत्रण, मौद्रिक नीति में बदलाव।
- **दीर्घकालिक उपाय**
  - व्यापार भुगतान में विविधता लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक फर्मों को आकर्षित करना।
  - राजकोषीय विवेकशीलता, मुद्रास्फीति नियंत्रण सुनिश्चित करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना।

निष्कर्ष

रुपये के अवमूल्यन से जोखिम और लाभ दोनों जुड़े हैं। आत्मविश्वास और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक मौद्रिक उपायों और निर्यात वृद्धि तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे दीर्घकालिक सुधारों का मिश्रण आवश्यक है।

6.7. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आरबीआई ने सीमा पार लेनदेन निपटान के लिए भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए फेमा विनियमों को उदार बनाया है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **संकटों में कमी:** विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करने से अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा झटकों और मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलती है।
- **विनिमय दर से जुड़े जोखिमों में कमी:**इससे व्यवसाय करने की लागत कम हो जाती है और व्यवसाय का बेहतर विकास संभव हो जाता है।
- **घाटे का वित्तपोषण:** वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये के उपयोग से सरकार को अपनी मुद्रा में ऋण जुटाने में मदद मिलती है, जिससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं।
- **अन्य:** विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता को कम करना, भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूत करना आदि।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां

- **ट्रिफिन डाइलेमा:** घरेलू मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ INR की बढ़ती वैश्विक मांग को संतुलित करने में कठिनाई।
- **रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता:** रुपया चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसका अपनाना सीमित हो जाता है।
- **बाह्य आघातों का जोखिम:** देश से बाहर फंड की स्वतंत्र आवाजाही से वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता बढ़ सकती है।
- **अन्य चुनौतियां:** सीमित अंतर्राष्ट्रीय उपयोग और उच्च विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की संभावना।

शुरू की गई पहलें

- **UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रयास**
- **सीमा पार लेनदेन के लिए समझौता ज्ञापन**: भारत ने स्थानीय मुद्रा आधारित सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **RBI की रणनीतिक कार्य योजना 2024-25 में** भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम शामिल हैं।
- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRA):** नामित वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान करने की व्यवस्था।
- **अन्य उपाय:** द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप, श्रीलंका में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता, तथा मसाला बांड जारी करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) में INR को शामिल करना:** CLS विदेशी मुद्रा में लेन-देन के सेटलमेंट के लिए वैश्विक प्रणाली है।
- **करेंसी स्वैप और लोकल करेंसी सेटलमेंट:** ये तंत्र भारतीय रुपये को स्थिर करने और व्यवसायों को मुद्रा जोखिमों से बचाने में मदद करते हैं।
- **RBI-SEBI KYC मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना**, 24x5 वैश्विक INR बाजार को सक्षम बनाना तथा भारतीय बॉण्ड्स को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करना, आदि।
- **अन्य उपाय:** SDR बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करने के प्रयास, भारतीय भुगतान प्रणालियों (NEFT, RTGS, UPI आदि) का अंतर्राष्ट्रीयकरण

निष्कर्ष

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भारत की आर्थिक लचीलापन और वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने और रुपये की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए रणनीतिक सुधार और सहयोग महत्वपूर्ण हैं।

6.8. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केयरएज **भारत** की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- **रेटिंग से** किसी देश की ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और इच्छा का आकलन किया जाता है।
- **मुख्य पैरामीटर:** विकास, मुद्रास्फीति, ऋण स्तर, बाह्य देनदारियां और राजनीतिक स्थिरता।
- **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR)** उधार लेने की लागत, निवेशक विश्वास और विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं।
- वर्तमान में **S&P,**, मूडीज और फिच का प्रभुत्व है।

संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसियों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) से जुड़ी चिंताएं

- रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग निर्धारण पद्धतियों में **पारदर्शिता का अभाव** है।
- रेटिंग के क्रम में **अर्थव्यवस्था की अधिकतर बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया** जाता है।
- **वैश्विक रेटिंग एजेंसियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भेदभाव** करती हैं। भारत के **विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** होने और उसका कोई **डिफॉल्ट इतिहास** नहीं होने के बावजूद, इन एजेंसियों ने भारत को कम रेटिंग दी है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) के बारे में

- सेबी क्रिसिल, ICRA, केयर, आदि जैसी घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करता है।
- CRA एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्था होती है जो उन प्रतिभूतियों की रेटिंग करती है या करने का प्रस्ताव रखती है, जो SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने वाली हैं

निष्कर्ष

CareEdge एजेंसी के माध्यम से वैश्विक संप्रभु रेटिंग में भारत का प्रवेश घरेलू क्षमताओं को बढ़ाता है और विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करता है।

7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES)

7.1. कृषि (Agriculture)

7.1.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana: PMDKY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) शुरू करने की घोषणा की।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के बारे में

- **कवरेज:** इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित:** 2018 के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित, इसका उद्देश्य भारत भर के 112 अल्पविकसित जिलों में तेजी से बदलाव लाना है।

PMDKY के उद्देश्य

- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना
- फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण को बढ़ाना
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता

7.1.2. डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी।

दो आधारभूत स्तंभ:

- **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** किसान-केंद्रित DPI जिसमें किसान ID, **जियो-रेफ़रेंस्ड गाँव के नक्शे**; **फसल बुआई रजिस्ट्री** शामिल है, ताकि किसानों के लिए उपलब्ध सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS):** फसलों, मिट्टी, मौसम और पानी पर रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत भू-स्थानिक प्रणाली में एकीकृत करती है।

प्रमुख लक्ष्य:

- 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाई जाएगी और 2 वर्षों में देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, तथा वित्त वर्ष 2025-26 तक सभी जिलों को कवर करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन का महत्व:

- **डेटा और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता**
- फसल क्षेत्र और उपज पर **सटीक डेटा**
- **नुकसान को रोकना और कम करना:**जैसे क्रॉप मैपिंग और फसल की निगरानी
- किसानों के लिए **बेहतर सेवा वितरण**

आगे की राह

- किसानों का सुरक्षित डेटा संग्रह, भू-स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करना
- खुले, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विकसित करना
- किफायती, बहुभाषी ऐप्स, AI टूल्स आदि विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- अधिकतम प्रभाव के लिए **डिजिटल कृषि मिशन** को पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, e-NAM जैसी योजनाओं के साथ समन्वित करना।

निष्कर्ष

डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य डेटा-आधारित निर्णयों और तकनीक-सक्षम सेवाओं के माध्यम से भारतीय कृषि में बदलाव लाना है। सुरक्षित, किसान-केंद्रित प्रणालियों और मज़बूत एकीकरण के साथ, यह इस क्षेत्र में उत्पादकता, पारदर्शिता और लचीलेपन को बढ़ाने का वादा करता है।

7.1.3. मखाना (Makhana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में **मखाना बोर्ड के गठन** की घोषणा की गई।

मखाना के बारे में

- **मखाना** एक महत्वपूर्ण **जलीय पुष्पीय फसल है** जिसका वानस्पतिक नाम **यूरीले फेरोक्स है।**
- इसे तालाबों, झीलों, दलदलों आदि जैसे **स्थिर बारहमासी जल निकायों में उगाया जाता है।**
- मखाना को अब **सुपर फूड के रूप में मान्यता मिल रही है।**
- **आदर्श जलवायु दशाएं: तापमान:** 200°C से 350°C; वार्षिक वर्षा: 100 सेमी से 250 सेमी
- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: बिहार (90%), उत्तर प्रदेश,** पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा आदि।

मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहल

- **राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा (बिहार):** इसे 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:** मखाना प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा ।
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP):** दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए मखाना सूचीबद्ध.
- **GI टैग** : 2022 में ' **मिथिला मखाना' को** GI टैग प्रदान किया गया।

निष्कर्ष

मखाना बोर्ड का उद्देश्य संवर्धन, अनुसंधान और व्यावसायीकरण का आयोजन करना, अकुशलताओं को दूर करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

7.1.4. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **'कपास उत्पादकता मिशन'** की घोषणा की गई।

कपास उत्पादकता मिशन के बारे में

- यह **पांच-वर्षीय मिशन** है।कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार करना तथा **ELS (≥234.925 mm) वाली कपास की खेती** (क्षेत्रफल का 10%, वैश्विक उत्पादन का 4%) के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय **वस्त्र मंत्रालय**; 5**वस्त्र क्षेत्रक का 5F विजन:** फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सहायता प्रदान करना, आयात को कम करना और कपड़ा क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना (80% भागीदारी MSME क्षेत्रक की है)।

कपास उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अन्य उपाय

- **कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना:** FAQ की दो मूलभूत किस्मों के लिए घोषित किया गया।
- **भारतीय कपास की ब्रांडिंग:** आत्मनिर्भरता और स्थानीय प्रचार के लिए "कस्तूरी कॉटन इंडिया"।
- **मोबाइल ऐप "Cott-Ally":** किसानों को **MSP, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और नज़दीकी CCI खरीद केंद्रों** की जानकारी देना।
- **तकनीकी हस्तक्षेप** : **HDPS**, गुणवत्ता मूल्यांकन, आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग, विस्तार सेवाएं।

निष्कर्ष

कपास आधारित वस्त्र उद्योग में **MSMEs की भूमिका महत्वपूर्ण** है, क्योंकि वे भारत के **कपास वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका** निभाते हैं इस मिशन का उद्देश्य कपास की गुणवत्ता, किसानों की आय और निर्यात को बढ़ाना है, जो ब्रांड इंडिया और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7.1.5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) {National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2024-25 से 2030-31 तक** सात साल की अवधि के लिए **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)** को मंजूरी दी।

NMEO-OS की मुख्य विशेषताएं

- **यह कृषोन्नति योजना (KY) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) होगी।**
- **उद्देश्य:** खाद्य तेल के आयात को कम करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना।
- **साथी पोर्टल:** समय पर बीज उपलब्धता के लिए 5-वर्षीय रोलिंग सीड प्लान।
- **600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टर-** गुणवत्तापूर्ण बीज, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे।

भारत में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियां

- **कम उपज:** आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शाकनाशी-सहिष्णु फसल किस्मों का उपयोग न करने के कारण।
- **वर्षा पर निर्भरता:** तिलहन क्षेत्र का 76% भाग वर्षा पर निर्भर है तथा जैविक और अजैविक संकटों का खतरा बना रहता है।
- **क्षेत्रीय संकेन्द्रण:** कुछ ही राज्य उत्पादन में अग्रणी हैं (जैसे, गुजरात, राजस्थान आदि मूंगफली का 83.4% उत्पादन करते हैं)।
- **मांग-आपूर्ति अंतर:** मांग को पूरा करने के लिए आयात उच्च बने रहने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

NEMO-तलिहन का लकष्य बेहतर बीजों, बेहतर अवसंरचना और मूलय शरृंखला के माधयम से उतपादन को बढ़ावा देना है। परती भूमि पर तलिहन की खेती को बढ़ावा देने, अनुसंधान और सारवजनकि-नजिी भागीदारी से इस कषेतरक को और बेहतर बनाने में मदद मलिेगी।

7.2. कृषि विस्तार प्रणाली (Agriculture Extension System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **वाराणसी में स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण-पत्र** प्रदान किए।

कृषि सखियाँ

- **जमीनी स्तर पर कृषि कार्य में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर** हैं।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक तरीके अपनाने में सहायता करती है।

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली

- सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व; ICAR का नेतृत्व।
- विस्तार/ VISTAAR: कृषि प्रौद्योगिकियों का आईसीटी-आधारित वीडियो प्रसार।
- कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना।
- NMAET: प्रौद्योगिकी वितरण और कृषि पद्धतियों को बढ़ाता है।
- **KVKs**: कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बीज, पद्धतियों और तकनीकी परीक्षण के लिए आईसीएआर की क्षेत्रीय इकाइयाँ।

भारत की कृषि विस्तार प्रणाली की चुनौतियाँ

- **निवेश की कमी:** विस्तार और प्रशिक्षण पर कृषि-जीडीपी का केवल 0.16% खर्च किया गया।
- **क्षेत्रीय विविधताएं:** उच्च निर्भरता के बावजूद पूर्वी राज्य सबसे कम खर्च करते हैं।
- **विषम आवंटन:** कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आवंटन फसल उत्पादन (92%) की ओर अत्यधिक झुका हुआ है।
- **परिणाम-आधारित तंत्र का अभाव:** परिणामोन्मुखता की अपेक्षा गतिविधि-केंद्रितता अधिक।

निष्कर्ष

भारत को एक बाजार-उन्मुख, तकनीक-आधारित, विविधीकृत विस्तार प्रणाली की आवश्यकता है। कृषि सखियों जैसे जमीनी स्तर के प्रयासों को मज़बूत करना और संतुलित, परिणाम-आधारित निवेश सुनिश्चित करना किसानों के उत्थान की कुंजी है।

7.3. कृषि आदान (Agriculture Input)

7.3.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) {Primary Agricultural CREDITS Societies (PACS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पैक्स के विस्तार के लिए पहल:** गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए **500 नए पैक्स की आधारशिला** रखी गई है।
- **पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए पहलें:**
  - **18,000 PACS में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना** : केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत
  - सहकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस** का उद्घाटन किया है।

PACS के बारे में

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं।
- **पुनर्वित्त:** जिला केंद्रीय सहकारी और अनुसूचित बैंकों के माध्यम से **नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित ।**
- **कार्य:** अल्पकालिक ऋण प्रदान करना तथा बीज, उर्वरक आदि जैसी अन्य इनपुट सेवाएं भी प्रदान करना।
- **महत्व:** KCC ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है और इसका 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं (2022)।
- **वर्तमान स्थिति:** देश भर में **65,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।**

PACS को मजबूत करने की पहल

- **पैक्स द्वारा नए FPOs का गठन:** NCDC के सहयोग से 1,100 अतिरिक्त FPOs का गठन किया जाएगा।
- **NCDC की भूमिका:** सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्यों को ऋण और अनुदान प्रदान करना।
- **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
  - **मॉडल उपनियम 25 से अधिक गतिविधियों की अनुमति** - डेयरी, मत्स्य पालन, पुष्प कृषि, गोदाम, आदि।
  - कृषि आदानों के लिए पैक्स **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र** के रूप में कार्य करेगा ।
  - पैक्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के रूप में कार्य करेगा केन्द्र , सीएससी आदि।

निष्कर्ष

PACS को मजबूत करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें CAS और MIS जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाना, जोखिम आधारित ऋण और विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय मजबूती को बढ़ाना, कुशल मानव संसाधनों में निवेश करना, और अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए।

7.4. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sectors)

7.4.1 भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक (India's Dairy Cooperative Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने **'श्वेत क्रांति 2.0'** के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्रक में बदलाव लाना है।

श्वेत क्रांति 2.0 के मुख्य उद्देश्य

- **डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में** 50% की वृद्धि: पांच वर्षों में
- **महिला किसानों को सशक्त बनाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **डेयरी क्षेत्रक में रोजगार सृजन** के माध्यम से महिलाओं को **आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना**।
- **डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूत बनाना;** खरीद प्रणालियों, शीतलन इकाइयों आदि के लिए वित्तीय सहायता के साथ।
- **डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना:** स्वदेशी परीक्षण उपकरणों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से।
- डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और माइक्रो-एटीएम के माध्यम से **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।**

डेयरी क्षेत्रक में सहकारिता का महत्व

- **किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** उदाहरणार्थ, अमूल और नंदिनी जैसी सहकारी समितियाँ।
- छोटे किसानों के लिए **बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना: उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना ।**
- **महिला सशक्तिकरण का समर्थन:** डेयरी सहकारी समितियों में 35% प्रतिभागी महिलाएं हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** सहकारी बैंक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसानों की ऋण तक पहुंच बेहतर होती है

- **संकट लचीलापन और जोखिम शमन**

चुनौतियाँ: वित्तीय अंतराल, दूध ग्रिड संबंधी समस्याएं, उपभोक्ता प्राथमिकताएं बदलना, सीमित प्रसंस्करण आदि।

डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**
- **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)**
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि**
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)**
- **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)**

आगे की राह
- **तकनीकों को अपनाना:** साइबर स्टोर, ग्राहक डेटाबेस और लक्षित विपणन का उपयोग करें।
- **दुग्ध का दक्षतापूर्वक प्रसंस्करण:** कोल्ड चेन प्रणाली का निर्माण तथा ब्रांडिंग और ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाना।
- **निर्यात को बढ़ावा देना**
  - **प्रतिस्पर्धात्मकता:** घरेलू डेयरी ब्रांडों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा।
  - **व्यावसायिक दृष्टिकोण:** लाभप्रदता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यवसाय मॉडल।
  - **FTA से बहिष्कार:** डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से बाहर रखने की वकालत करें।o

निष्कर्ष
सहकारी मॉडल का लाभ उठाकर, भारत का डेयरी क्षेत्रक अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर डेयरी उत्पादों का अग्रणी निर्यातक बनाया जा सकेगा।

7.5. अनाज भंडारण और खाद्य सुरक्षा (Grain Storage and Food Security)

7.5.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (Grain storage system in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?
सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट चरण के अंतर्गत, **11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाली भंडारण इकाइयों** का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया था।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में
- **मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय
- **उद्देश्य: कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना** आदि का अभिसरण करके PACS के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ अन्य कृषि अवसंरचनाओं जैसे गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना करना।

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली
- **लघु किसानों:** 60-70% अनाज घर पर पारंपरिक संरचनाओं (जैसे, मोरई, मिट्टी की कोठी) में संग्रहित करते हैं।
- **सरकारी एजेंसियां:**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI):** FCI देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए मुख्य एजेंसी है।
  - कृषि उपज के भंडारण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (**CWC**)।
  - राज्यों में कुछ वस्तुओं के भंडारण को विनियमित करने के लिए राज्य भंडारण निगम।
  - **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।

भारत के अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां
- **अवैज्ञानिक भंडारण** : लगभग 80% हैंडलिंग और वेयरहाउसिंग सुविधाएं मशीनीकृत नहीं हैं।
- **सीमित भंडारण क्षमता:** खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT बनाम 145 MMT क्षमता - 166 MMT की कमी।
- **अधिशेष बफर स्टॉक:** FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।
- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान:** पारंपरिक भंडारण प्रणाली फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती हैं।
- **भंडारण में निजी निवेश की कमी** : भूमि और विनियामक बाधाओं के कारण।

निष्कर्ष
PACS स्तर पर विकेन्द्रीकृत, आधुनिक भंडारण, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, अधिशेष का प्रबंधन करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी है। सफलता वैज्ञानिक तरीकों, निवेश और योजना अभिसरण पर निर्भर करती है।

7.5.2. भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India: FCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

CCEA ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए FCI की **कार्यशील पूंजी** बढ़ाने हेतु **10,700 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी** दी है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

- **परिचय:** FCI केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक उपक्रम** है।
- **स्थापना:** FCI **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के तहत स्थापित **एक वैधानिक संस्था** है।
- **मुख्य भूमिका:** यह भारत सरकार की **खाद्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार** मुख्य एजेंसी है।

FCI की कार्य-प्रणाली

- राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर, किसानों से **MSP पर अनाज खरीदती** है।
- **खरीद के प्रकार:**
  - **प्रत्यक्ष:** एफसीआई/राज्य एजेंसियां अंतिम-से-अंतिम प्रक्रिया को संभालती हैं।
  - **DCP:** राज्य स्थानीय स्तर पर प्रबंधन करते हैं; अधिशेष अनाज को केंद्रीय पूल के लिए FCI को सौंप देती हैं।

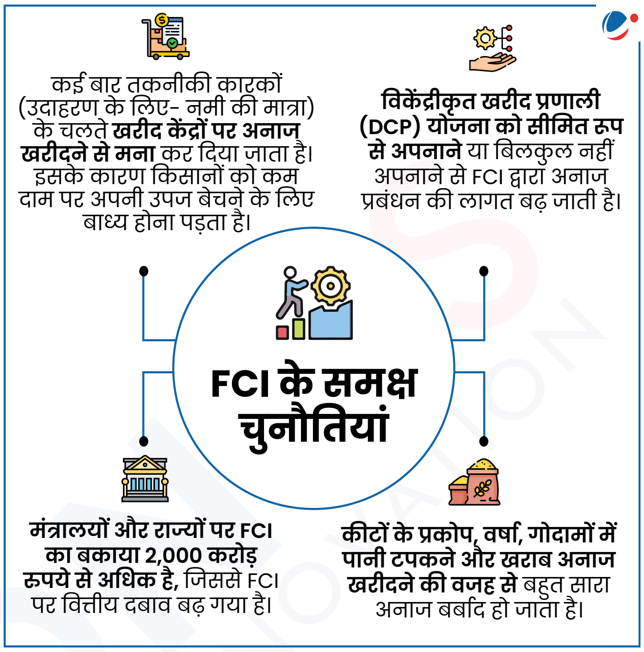

FCI की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए की गई पहलें

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पहल:** "एक राष्ट्र, एक MSP" लागू किया गया।
- **भंडारण उन्नयन**: पारंपरिक **कवर एंड प्लिंथ भंडारण तकनीक** को कम किया गया; आधुनिक **भंडारण डिपो** और **साइलो विधि** को अपनाया जा रहा है।
- **स्टील साइलो:** मान में 22.75 LMT क्षमता के स्टील साइलो कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त **41 LMT** क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया जा रहा है।
- **डिजिटल सुधार**: AI निगरानी, अन्ना दर्पण पोर्टल, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली।

निष्कर्ष

FCI भारत की खाद्य सुरक्षा का केंद्रबिंदु है। तकनीकी उन्नयन, बेहतर भंडारण और विकेंद्रीकृत खरीद—और इक्विटी निवेश—के साथ मिलकर—के साथ यह अधिक कुशल और पारदर्शी होता जा रहा है।

7.5.3 भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) {Public Distribution System (PDS) in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ICRIER ने "भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को युक्तिसंगत बनाना" शीर्षक से पॉलिसी ब्रीफ जारी किया।

PDS के बारे में

- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के माध्यम से संचालित, रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

मुख्य निष्कर्ष

- **PDS लीकेज:** एफसीआई/राज्यों से 28% खाद्यान्न लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है - जिससे लगभग 69,108 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
- **सुधार:** आधार लिंकिंग और PoS स्थापना (95% FPS) से वितरण में सुधार हुआ, लेकिन लीकेज जारी है।
- **क्षेत्रीय भिन्नताएं:** बिहार, पश्चिम बंगाल में सुधार हुआ; खराब डिजिटलीकरण के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च रिसाव हुआ।

सिफारिशें

- **बेहतर लक्ष्यीकरण:** निशुल्क वितरण को निचले 15% तक सीमित रखें; अन्य को 50% एमएसपी पर अनाज मिले।
- **DBT का विस्तार करना:** रिसाव, प्रशासनिक लागत कम होती है, तथा आहार संबंधी लचीलापन बढ़ता है।
- **FPS को पोषण केंद्रों में बदलना:** अनाज की हेराफेरी की समस्या से निपटने के लिए चुनिंदा FPS में फ़ूड कूपन जारी करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।

निष्कर्ष

सुधारों के बावजूद, लीकेज जारी है। लक्षित कवरेज, डीबीटी और पोषण-केंद्रित एफपीएस दक्षता और खाद्य सुरक्षा में सुधार ला सकते हैं।

8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (INDUSTRY AND INDUSTRIAL POLICY)

8.1. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष (10 Years of Make in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"मेक इन इंडिया" पहल के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि **मेक इन इंडिया** पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को हुई थी।

"मेक इन इंडिया" के बारे में

- **उद्देश्य:** इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व का प्रमुख डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है।
- **अन्य उद्देश्य:**
  - भारतीय उद्योग की **संवृद्धि दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष 12-14%** तक करना।
  - **2022 तक औद्योगिक क्षेत्रकों में 100 मिलियन रोजगार के अवसर** सृजित करना।
  - 2022 तक भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25%** करना। अब इसे संशोधित करके 2025 तक कर दिया गया है।

'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

- भारत अब **प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने बना रहा है,विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बना गया है, तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है**।
- **इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट:** 142 (2014) से बढ़कर 63 (2020) हो गई।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा:एशियाई देशों में भारत में कर की दरें सबसे कम हैं** और सिंगल विंडो सिस्टम मंजूरी के माध्यम से से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च मूल्य विनिर्माण को प्राथमिकता दी गई;** वैश्विक नवाचार सूचकांक में 42 स्थान ऊपर चढ़ा।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से **सतत विकास ।**

कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर बदलाव के निहितार्थ या प्रभाव

- **आर्थिक संवृद्धि:** सेवाओं का GVA में इसका योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6% थाजो बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **रोजगार:** कृषि अभी भी अधिकांश लोगों को रोजगार देती है, लेकिन इससे कम मूल्य प्राप्त होता है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** सेवा क्षेत्रक द्वारा संचालित विकास कुछ ही राज्यों तक सीमित है।
- **समय से पूर्व औद्योगीकरण समाप्ति:** विनिर्माण चरण को छोड़ दिया जाना, जिससे रोजगार सृजन सीमित हो गया।

'मेक इन इंडिया' से जुड़ी चिंताएं

- **विनिर्माण** अभी भी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 17.7% (2023) है, जो 25% लक्ष्य से कम है।
- विनिर्माण क्षेत्रक में श्रमबल **2017 के 51 मिलियन से घटकर 2023 में 35 मिलियन** हो गया।
- **विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक GVA वृद्धि** धीमी होकर 5.5% (2023) हो गई।
- **निवेश में गिरावट:** सकल पूंजी निर्माण 2008 के 39.1% से घटकर 2023 में 32.2% रह गई।
- **FDI में गिरावट:** 70% FDI केवल 9 क्षेत्रकों (विशेषकर IT सेवाएं), में केंद्रित रहा है; विनिर्माण क्षेत्र में 30%।
- **निर्यात कमजोर हुआ:** भारत के पण्य (मर्केंटाइल) निर्यात में सापेक्ष रूप से गिरावट दर्ज हुई है। यह 2013-14 में GDP का लगभग 10% था, जो 2022-23 में घटकर लगभग 8% रह गया।

मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम					
उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं	GST लागू करने जैसे कर सुधार	पी.एम. गति शक्ति	स्टार्ट-अप इंडिया	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022)	**अन्य:** सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, आदि

आगे की राह

- **कौशल एवं तकनीक:** AI/ML और कौशल निर्माण के माध्यम से कार्यबल की क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है।
- **नवाचार हेतु अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना:**
- ट्रिपल हेलिक्स मॉडल (अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना।

- लोकतांत्रिक नवाचार और सेवा-संबद्ध विनिर्माण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

10 वर्षों में, मेक इन इंडिया भारत के विनिर्माण आधार को बदलने और अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के संकल्प को दर्शाता है।

8.2. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत **12 नए औद्योगिक नोड्स/ शहरों को मंजूरी** दी है। नए औद्योगिक शहरों का विकास **'प्लग-एंड-प्ले'** और **'वॉक-टू-वर्क'** की अवधारणाओं के आधार पर विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के बारे में

- **2007** में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के शुभारंभ के साथ हुई थी।
- इसका उद्देश्य **नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना** तथा **व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।**

औद्योगिक गलियारों के विकास में चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:**
  - **नियोजन संबंधी खामी:** नियोजन में स्थानीय सरकार की न्यूनतम भागीदारी।
  - **क्षेत्राधिकार को लेकर संशय:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) और स्थानीय निकायों के मध्य।
- **संस्थागत क्षमता** : नए शहरों को विकसित होने में लंबा समय लगता है, तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी सीमित होता है।
- **भूमि अधिग्रहण:** बुनियादी ढांचे में **70 प्रतिशत देरी भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण होती है।**
- **अन्य: सीमित संस्थागत क्षमता, कृषि से गैर-कृषि उपयोग के लिए भूमि का रूपांतरण आदि।**

आगे की राह

- **नियोजन प्रक्रियाओं में स्थानीय प्राधिकरणों और समुदायों को शामिल करना चाहिए।**
- SPVs और औद्योगिक हितधारकों सहित सरकार एवं अन्य भागीदारों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **बेहतर मुआवजा** और अधिग्रहण के लिए छोटे भूखंडों की पेशकश करें।
- **केंद्र-राज्य सहयोग** ढांचे को मजबूत करना।
- **कुशल परियोजना नियोजन** और निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग करें।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम स्मार्ट, संधारणीय शहरों के माध्यम से भारत के औद्योगिक परिदृश्य को नया रूप दे रहा है। इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए शासन, भूमि और क्षमता संबंधी मुद्दों का समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8.3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22919 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- **उद्देश्य:** घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन:** टर्नओवर-लिंक्ड, कैपेक्स (पूंजीगत व्यय)-लिंक्ड, तथा दोनों का हाइब्रिड प्रोत्साहन।।
- **पात्रता:** ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक का महत्त्व

- **आर्थिक क्षमता:** 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण: सैन्य हार्डवेयर हेतु अमेरिका के साथ पहला **राष्ट्रीय सुरक्षा चिप संयंत्र** स्थापित किया जाएगा।
- **तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना:** रिमोट सर्जरी, ऑटोनोमस वाहन आदि जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उन्नति को सक्षम बनाता है।
- **भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र:** वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में **4%** की हिस्सेदारी। वित्त वर्ष 2024 में घरेलू उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

शुरू की गई पहलें

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम
- IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना 2.0
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के लिए PLI योजना
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019

आगे की राह

- **राजकोषीय प्रोत्साहन:** विनिर्माण कार्यों को बढ़ाने के लिए परिचालन व्यय सहायता प्रदान करना।
- **टैरिफ युक्तिकरण:** वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इनपुट शुल्क कम करना।
- **कुशल प्रतिभा:** त्वरित वीज़ा अनुमोदन के माध्यम से विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करना।
- **अकादमिक-उद्योग सहयोग:** संसंयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) और कौशल विकास के माध्यम से नवाचार को मज़बूत करना।
- **अन्य:** बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित करना, अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देना (अभी GDP का 1% से भी कम है) आदि।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और लक्षित प्रोत्साहनों और मजबूत बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

8.3.1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्रक (SEMICONDUCTOR SECTOR IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में **पांचवीं सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी** दी। इसे **गुजरात के साणंद** में स्थापित किया जाएगा।

भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के विकास पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहा है?

- **आयात पर निर्भरता को कम करना:** 2019 में आयात 4.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि निर्यात 0.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** चीन-ताइवान तनाव, अमेरिका-चीन चिप युद्ध और रुस-यूक्रेन संघर्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** रक्षा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है।
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** विश्व का लगभग 70% सेमीकंडक्टर विनिर्माण पांच देशों में केंद्रित है।
- **आर्थिक गुणक:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगाया गया प्रत्येक डॉलर व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 1.32 डॉलर का सृजन करता है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं?

- **उच्च पूंजीगत लागत और प्रतिफल मिलने में लगाने वाला अधिक समय**।
- भारत को चीन और **चिप 4 अलायंस** (अमेरिका, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया) से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
- **श्रम-गहन नहीं:** इससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000-15,000 नौकरियां ही सृजित होंगी।
- **अवसंरचना की कमी:** चिप विनिर्माण संयंत्रों को स्वच्छ कक्ष संबंधी सुविधाओं, निर्बाध बिजली आपूर्ति आदि की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

निरंतर प्रयासों और सक्रिय रुख के साथ, भारत एक अग्रणी सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर अग्रसर है, जो तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान देगा।

9. सेवाएं (SERVICES)

9.1. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (India's Digital Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन एवं मापन नामक एक अध्ययन** जारी किया।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?

- डिजिटल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्रक** से है। इसमें **दूरसंचार, इंटरनेट, ICT सेवाएं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एकीकृत पारंपरिक क्षेत्रक** शामिल हैं। (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष: IMF)।

स्थिति

- **तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश।** ('स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024' के अनुसार)।
- व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के स्तर में **G-20 देशों में 12वें स्थान पर है।**

योगदान

- इसका राष्ट्रीय आय में **11.74%** योगदान है।
- GDP में इसका लगभग **402 अरब अमेरिकी डॉलर** का योगदान है।
- इस क्षेत्रक में **146.7 लाख** लोग कार्यरत हैं।
- भारत **दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ICT सेवा निर्यातक** है (2023 के आंकड़ों के अनुसार)।

अनुमानित वृद्धि

- 2024-25 तक इसका योगदान **13.42%** तक बढ़ने की संभावना है।
- **छह साल से भी कम** समय में इसका हिस्सा **कृषि या विनिर्माण क्षेत्रक से भी अधिक** हो जाएगा।
- 2029-30 तक **GVA** में इसकी हिस्सेदारी **20%** तक पहुंच जाएगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **सार्वभौमिक परिभाषा:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों की **आपस में जुड़ी और विस्तृत प्रकृति** के कारण अलग से 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' को परिभाषित करना कठिन है।
- **साइबर हमले और साइबर अपराध:** उदाहरण के लिए- **डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्लेवरी** आदि।
- **गोपनीयता का उल्लंघन और संबंधित चिंताएं:** जैसे- **व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, गलत सूचना का प्रसार** आदि।
- **कमजोर डिजिटल साक्षरता:** 2023 के NSSO के 'मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे' के अनुसार, **70% भारतीय युवा संलग्न (attached) फाइलों के साथ ईमेल नहीं** भेज सकते हैं।
- **अन्य:** सेमीकंडक्टर का धीमा उपयोग और **मोबाइल फोन में कम मूल्य संवर्धन।**

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से सेवा वितरण को बदल रही है, निर्यात को बढ़ावा दे रही है और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भारत को विश्वसनीय डेटा संग्रह, सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड, डिजिटल कौशल विकास और एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

9.2. क्रिएटिव इकोनॉमी (Creative Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत का पहला 'वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (WAVES), 2025' मुंबई** में आयोजित किया गया।

भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी की स्थिति

- **GDP में योगदान:** रचनात्मक व्यवसायों का राष्ट्र के **समग्र GVA में लगभग 20%** का योगदान है।
- **निर्यात:** 2010 से 2019 तक रचनात्मक उत्पादों के निर्यात में **1.5 गुना** की वृद्धि हुई है।
- **रोजगार:** यह **30 अरब डॉलर** का उद्योग है और भारत की लगभग **8%** कामकाजी आबादी को रोजगार देता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी का महत्त्व

- **आर्थिक पहलू:** यह वार्षिक **2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व** उत्पन्न करता है और दुनिया भर में लगभग **50 मिलियन लोगों को रोजगार** देता है (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार)।
- **सामाजिक पहलू:** रचनात्मक उद्योगों में कार्यरत **23% लोग 15 से 29 वर्ष** की आयु के बीच हैं।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** रचनात्मक उद्योग पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, क्योंकि रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्राथमिक इनपुट प्राकृतिक संसाधनों की बजाय रचनात्मकता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी की वृद्धि में बाधाएं

- **डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दे:** डिजिटल डिवाइड और साइबर सुरक्षा जोखिम समावेशी डिजिटल विकास में बाधा डालते हैं।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** 67.07% क्रिएटिव वर्कर्स शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) में देरी:** भारत में पेटेंट अनुमोदन में 58 महीने लगते हैं, जो वैश्विक समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक है।

- **उद्योग का विखंडन (Fragmentation):** क्रिएटिव सेक्टर्स को खराब समन्वय और बाजार तक पहुंच की समस्या का सामना करना पड़ता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी का समर्थन करने से संबंधित पहलें

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर राष्ट्रीय नीति (2016);**
- **राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार;**
- **यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क;**
- संयुक्त राष्ट्र ने **2021 को "सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष"** घोषित किया था आदि।

आगे की राह

- भारतीय संस्कृति को **वैश्विक स्तर पर अधिक मान्यता** दिलाने के प्रयास करने चाहिए।
- यूरोपीय आयोग के **"Crowdfunding4Culture"** जैसे वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना चाहिए।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) फ्रेमवर्क में सुधार** करना चाहिए।
- **क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट्स/हब्स** स्थापित करने चाहिए, रचनात्मक उद्योगों के लिए **विशेष संस्थाओं का गठन** करना चाहिए आदि।

निष्कर्ष

भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में आर्थिक संवृद्धि, रोजगार और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए **अपार क्षमता** मौजूद है। इसके पूर्ण मूल्य को उजागर करने के लिए नीतिगत समर्थन, डिजिटल पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) फ्रेमवर्क को मजबूत करना **महत्वपूर्ण** होगा।

9.3. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले कुछ वर्षों में **8 अरब डॉलर से पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर** होने की उम्मीद है।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रक की स्थिति

- **रैंकिंग:** वैश्विक स्तर पर **5वें** स्थान पर।
- **विकास क्षमता:** 2033 तक **44 अरब डॉलर।**
- **निजी क्षेत्र: 200 से अधिक** अंतरिक्ष-आधारित स्टार्ट-अप्स।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** यह सभी अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्रकों में गैर-सरकारी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी की अनुमति देती है।
- **FDI नीति:** उपग्रह निर्माण/ संचालन में **74%** तथा प्रक्षेपण यान और स्पेसपोर्ट में **49%** की अनुमति दी गई है।
- **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क: स्पेस स्टार्ट-अप्स और लघु व मध्यम उद्यमों (SMEs) का समर्थन** करने के लिए एक सार्वजनिक-निजी मंच है।
- **अन्य:** कर लाभ, एटीएल स्पेस चैलेंज, **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) योजना** आदि।

आगे की राह

- **अंतरिक्ष गतिविधियां अधिनियम लागू करना:** उद्योग के लिए स्पष्टता, ध्यान और गति प्रदान करने के लिए।
- **मूल्य श्रृंखला मैपिंग:** बाजार निर्माण को सक्षम करने के लिए चुनौतियों, प्रवृत्तियों और बेंचमार्क की पहचान करना।
- **क्षमता निर्माण:** उदाहरण के लिए- सिस्टम इंजीनियरिंग में कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **क्षेत्रक सहक्रिया:** विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच के लिए स्टार्ट-अप्स, इसरो, तथा वैश्विक फर्मों के बीच संबंध बनाना।
- **अन्य उपाय:** प्रौद्योगिकी विकास निधि के आरंभिक कोष को बढ़ाना, वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना अपनाना आदि।

निष्कर्ष

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नीतिगत सुधारों और बढ़ती निजी भागीदारी से प्रेरित होकर **महत्वपूर्ण वृद्धि** के लिए तैयार है। विनियामक ढांचे को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए जरूरी है।

10. अवसंरचना (INFRASTRUCTURE)

10.1 लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024 {Logistics Ease Across Different States (Leads) 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

लीड्स रिपोर्ट 2024, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी की गई है।

लीड्स/ LEADS के बारे में

- **उद्देश्य:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - लीड्स को **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** की तर्ज पर **2018** में विकसित किया गया था।
  - LPI के विपरीत, लीड्स में धारणा के साथ-साथ **वस्तुनिष्ठ माप (Objectivity)** भी शामिल है।
- **मापदंड:** इसके तहत **चार मापक आधार/ स्तंभ पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन** किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां: तटीय, स्थल-रुद्ध, पूर्वोत्तर** और **केंद्र शासित प्रदेश।**
- इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर इन्हें **अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स** का टैग प्रदान किया जाता है।
- **2024 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन-**
  - **अचीवर्स:** गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, आदि।
  - **फास्ट मूवर्स:** आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि।
  - **एस्पायरर्स:** केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आदि।

निष्कर्ष

LEADS 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डेटा-समर्थित सुधारों, राज्य बेंचमार्किंग और टिकाऊ, समावेशी व तकनीक-सक्षम प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में सुधार पर भारत के फोकस पर प्रकाश डाला गया है।

10.2 रेलवे (RAILWAYS)

10.2.1 रेलवे में सुधार (Railways Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पारित हुआ। साथ ही, रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने **"रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता"** पर केंद्रित एक रिपोर्ट जारी की है।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **सरलीकृत कानूनी फ्रेमवर्क**
  - यह विधेयक **भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके** इसके प्रावधानों को **भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में समाहित** करने का प्रस्ताव करता है।
  - इसका उद्देश्य रेलवे प्रशासन के लिए दो अलग-अलग कानूनों के संदर्भ लेने से बचना है।
- **रेलवे बोर्ड के गठन पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्ति:** केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या, सदस्यों के लिए योग्यताएं, अनुभव, सेवा की शर्तें और नियम, तथा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका निर्धारित करेगी।

हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने भी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए **रेलवे प्रशासन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।**

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

मापदंड	टिप्पणी	सिफारिशें
वित्तीय	भारतीय रेलवे की **अधिकांश आय** उसकी **माल ढुलाई सेवाओं** से आती है।	अलग-अलग रेलगाड़ियों और श्रेणियों में **यात्री किराये की व्यापक समीक्षा** की जानी चाहिए।
परिचालन	पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की **औसत गति 25 कि.मी./ घंटा** पर स्थिर बनी हुई है।	गति, माल लदान और आय बढ़ाने के लिए नए **समर्पित माल गलियारों** के निर्माण पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण	**निवेश** • सकल बजटीय सहायता में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई। • अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (EBR) पर निर्भरता कम हो गई है। **रोड ओवर ब्रिज (RoBs) और रोड अंडर ब्रिज (RuBs):** पिछले तीन वर्षों में RoB/ RuB का निर्माण करने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं।	**निवेश:** रेलवे के बुनियादी ढांचे और स्टेशन पुनर्विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। **RoBs और RuBs:** समिति ने नई नीति की सराहना की है, क्योंकि परियोजना के लिए पूरा फंड अब रेलवे प्रदान करेगा।
अनुसंधान	**रेलवे अनुसंधान निधि का कम आवंटन और कम उपयोग** (उदाहरण के लिए 2024-25 के लिए रेलवे अनुसंधान के लिए बजट आवंटन मात्र 72 करोड़ रुपये है)	नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा **आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास का दायरा बढ़ाना चाहिए।**
ग्रीन रेलवे	भारतीय रेलवे ने **2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य** रखा है।	वित्तीय आवंटन में **'ग्रीन बजट'** पद्धति को शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि भारतीय रेलवे ने काफी प्रगति की है, फिर भी उसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक अप्रोच अपनाना होगा। **अमृत भारत स्टेशन योजना (2022)** और **राष्ट्रीय रेल योजना (2020)** इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

10.3 बंदरगाह और जलमार्ग (PORT AND WATERWAYS)

10.3.1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने केरल के **विझिनजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज सी-पोर्ट** में नवनिर्मित अर्ध-स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का स्वागत किया।

ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत का महत्व

- **राजस्व सृजन: भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है।
- **शिपिंग लागत में कमी:** दक्षता बढ़ाकर लॉजिस्टिक लागत और शिपिंग लागत में कमी; भारतीय बंदरगाहों के लिए औसत टर्नअराउंड समय 4.3 दिन (2012-13) से **घटकर 2.1 दिन (2022-23) हो गया।**
- **आर्थिक विकास:** विदेशी मुद्रा की बचत होगी, FDI आकर्षित होती है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तथा संबद्ध क्षेत्रों को समर्थन मिलता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी तथा हिंद महासागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला किया जा सकेगा।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण:** शिपिंग कनेक्टिविटी में वृद्धि; विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% बनी हुई है।

शुरू की गई पहलें

- **मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047:** यह भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा है।
- **नए टर्मिनल:** इनका विकास अंडमान और निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार की गैलाथिया खाड़ी तथा कोचीन के वल्लारपदम में किया जा रहा है।
- **टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021:** प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए PPP ऑपरेटरों के लिए बाजार आधारित टैरिफ निर्धारण की अनुमति

दी गई है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए **आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकों** में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।
- **PPP के आधार पर परियोजनाएं शुरू करना:** करों को तर्कसंगत बनाना, सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा:** लागत दक्षता, टर्नअराउंड समय और सेवा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना।
- **तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP) तैयार करना:** बंदरगाहों को CZMPs को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के साथ संरेखित करना चाहिए।

निष्कर्ष

विझिनजाम बंदरगाह का शुभारंभ भारत की ट्रांसशिपमेंट महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बुनियादी ढांचे, नीतिगत समर्थन और रणनीतिक स्थिति के साथ, भारत वैश्विक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

10.3.2 राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {National Waterways (Construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025** जारी किए।

विनियम के बारे में

- **उद्देश्य:** टर्मिनलों की स्थापना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने आदि में निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना।
- **किन पर लागू होगा:** यह राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनल विकसित करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होता है, जिनमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं - चाहे वे मौजूदा हों या नए, स्थायी हों या अस्थायी।
- **टर्मिनल हेतु आवेदन के लिए डिजिटल पोर्टल:** व्यापार में सुविधा के लिए IWAI द्वारा विकसित किया जाएगा।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लाभ

- **ईंधन का बेहतर उपयोग:** 1 लीटर ईंधन में सड़क मार्ग से एक किलोमीटर तक 24 टन, रेल मार्ग से एक किलोमीटर तक 95 टन और अंतर्देशीय जलमार्ग से एक किलोमीटर तक 215 टन का भार परिवहन किया जा सकता है।
- **किफायती:** अलग-अलग परिवहन साधनों से, माल ढुलाई की प्रति टन प्रति किलोमीटर लागत रेलमार्ग से 1.36 रुपये, राजमार्गों से 2.50 रुपये और अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) से 1.06 रुपये है।
- **अन्य:** यातायात पर भीड़ को कम करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, आदि।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- **नौगम्य जलमार्ग:** भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं।
- **अन्य देशों से तुलना:** भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

उठाए गए कदम

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** इसे **राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और प्रशासित करने** का अधिकार है।
- **सागरमाला कार्यक्रम (2015):** समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देना।
- **जलवाहक योजना (2024):** इसका उद्देश्य IWT के माध्यम से समय पर और लागत प्रभावी कार्गो आवाजाही को प्रोत्साहित करना है।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्ग की संभावनाओं को उजागर करने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे, निजी क्षेत्र की भागीदारी, आधुनिक तकनीक और मल्टी-मॉडल एकीकरण की आवश्यकता है। सुव्यवस्थित नीतियों और क्षेत्रीय सहयोग से अंतर्देशीय जलमार्ग को स्थायी व्यापार एवं परिवहन का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।

10.4 सड़क सुरक्षा (Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215B को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार से सवाल किया।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

- **मृत्यु दर में वृद्धि:** 2010 से 2021 के बीच, भारत में सड़क हादसों से होने वाली मौतों में **15% की वृद्धि** हुई है। (WHO, 2023)
- **2024 के आँकड़े:** भारत में **1.8 लाख लोगों** की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली गई थी।

- **युवा प्रभावित हुए:** इन दुर्घटनाओं में 66% पीड़ित 18 से 34 वर्ष के युवा थे।

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **मोटर वाहन अधिनियम (2019) में संशोधन:** उल्लंघन के लिए कठोर दंड, वाहन सुरक्षा मानदंडों में सुधार आदि।
- **ब्लैक स्पॉट्स की पहचान: 4,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की पहचान** की गई है एवं उन्हें ठीक किया गया है।
- **कैशलेस उपचार योजना (2025):** दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू की गई।
- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010):** यह जागरूकता अभियान, प्रवर्तन और सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देती है।
- **उन्नत वाहन सुरक्षा मानक;** वाहन सुरक्षा के लिए भारत NCAP क्रैश परीक्षणों का कार्यान्वयन।

भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **उच्च मृत्यु दर और उपचार-लागत का बोझ:** 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में **11% मौतें** भारत में दर्ज की गई थी।
- **दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलना:** सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% मौतों की वजह समय पर उपचार नहीं मिलना है।
- **अन्य:** तेज गति से वाहन चलाना, यातायात संबंधी कानून के प्रवर्तन का अभाव, दोषपूर्ण सड़क डिजाइन आदि।

सिफारिशें: सेफ सिस्टम अप्रोच (WHO वैश्विक कार्य-योजना 2021-2030)

- **सेफ सिस्टम अप्रोच:** यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाए।
- **गतिशीलता में बदलाव:** सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और पैदल चलने को बढ़ावा देना।
- **बुनियादी ढांचा:** सुरक्षित सड़कें बनाना और बेहतर यातायात प्रबंधन लागू करना।
- **वाहन सुरक्षा:** सभी वाहनों में उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ अनिवार्य करना।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** दुर्घटना के बाद चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाना।

निष्कर्ष

भारत में सुधारों के बावजूद सड़क सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। बेहतर प्रवर्तन, सुरक्षित सड़कें और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण, मृत्यु दर को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

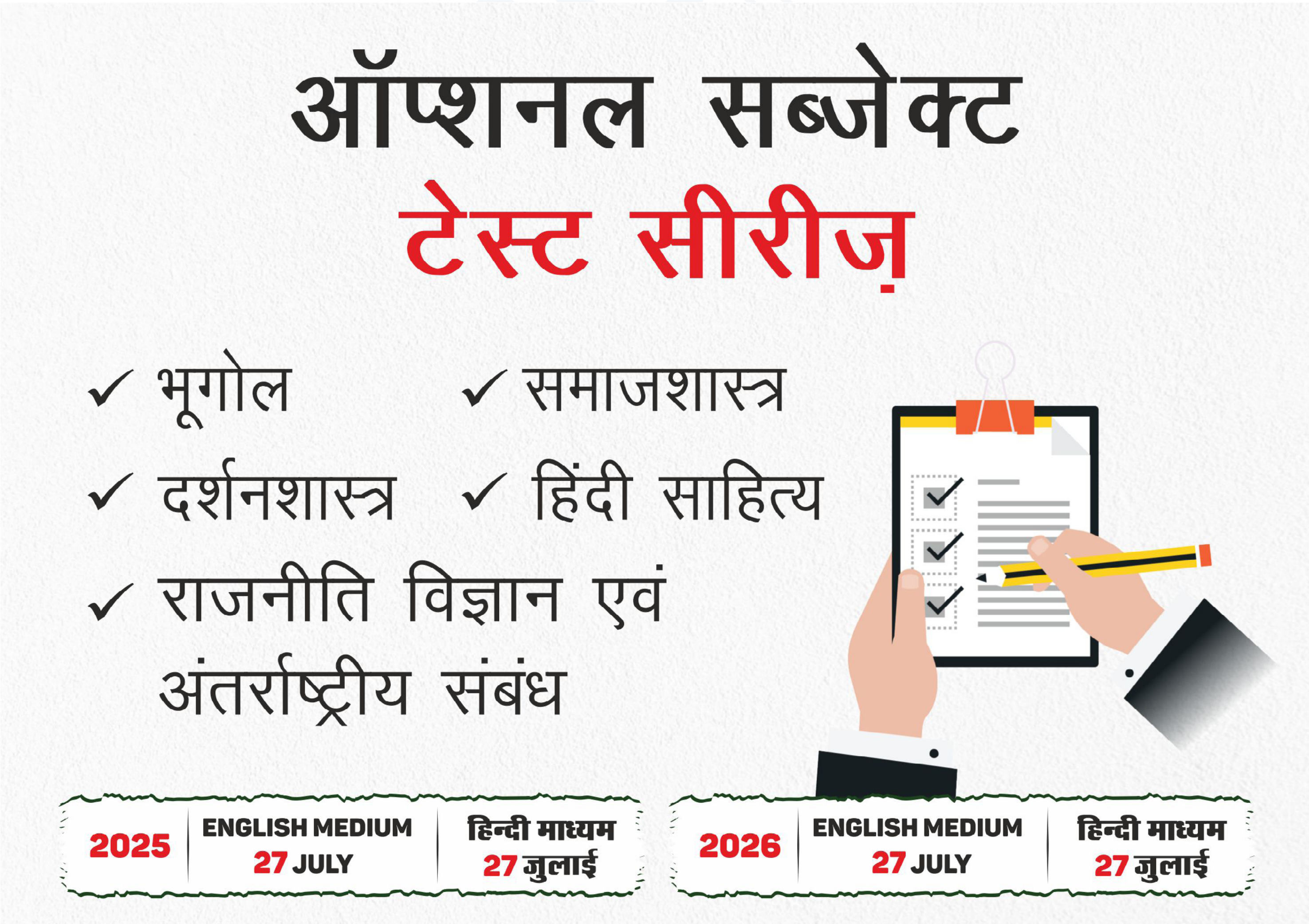

11. खनन गतिविधियां एवं अन्य संसाधन (MINING AND Other Resources)

11.1. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission: NCMM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

NCMM के बारे में

- **शुरुआत:** केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- **कवरेज:** खनिजों की खोज, **खनन, उन्हें लाभकारी या उपयोगी बनाना (बेनेफिकेशन), प्रोसेसिंग** और **उत्पाद के अनुपयोगी हो जाने पर उनसे उपयोगी सामग्रियों की रिकवरी।**
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - इस **मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज** के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान** किया जाएगा तथा **माइन ओवरबर्डन और माइन टेलिंग्स** से इन खनिजों की प्राप्ति को **बढ़ावा दिया जाएगा।**
  - इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए **फास्ट ट्रैक विनियामक मंजूरी प्रक्रिया स्थापित** करना है।
  - भारतीय कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - इस मिशन में देश के भीतर **क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार** विकसित करने का प्रस्ताव है।
  - **अपतटीय क्षेत्रों में खनन** (पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आदि)
  - **खान मंत्रालय** इसका प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में

- **परिभाषा:** क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो **किसी भी देश के आर्थिक विकास** और **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक** हैं।
- भारत सरकार ने देश के लिए **30 क्रिटिकल मिनरल्स** की सूची जारी की है। इनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत **क्रिटिकल मिनरल्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर** है।

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने की राह में बाधाएं

- **देश में बहुत कम भंडार: कोबाल्ट, निकल, लिथियम और नियोडिमियम** के लिए कोई संचालित खनन पट्टा नहीं दिया गया है।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज से जुड़ी चुनौतियां:** जैसे: जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है, लेकिन इसे प्राप्त करना जोखिम भरा है।
- **आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान: वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं क्रिटिकल मिनरल्स का लगभग 60% उत्पादन एवं 85% प्रसंस्करण** चीन में होता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** जैसे- इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग **54% खनिज भंडार देशज समुदायों की भूमि के आस-पास स्थित हैं।**

क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति हेतु शुरू की गई अन्य पहलें

- **नीति और विनियामकीय फ्रेमवर्क**
  - खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
  - राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019
  - केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार ने अधिकतर क्रिटिकल मिनरल्स पर **सीमा शुल्क समाप्त कर दिया** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार समझौते**
  - खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL), 2019
  - खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP)

भारत क्रिटिकल मिनरल्स की लंबे समय तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय कर सकता है?

- **देश में क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना: अधिक निजी निवेश आकर्षित करने** के लिए खनिज क्षेत्र के **आवंटन की वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए।**
- **घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करना: क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** स्थापित किए जा सकते हैं।
- **वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता:** क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज संपन्न देशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।

- **व्यापक क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति तैयार करना:** क्रिटिकल मिनरल्स की मांग का समय-समय पर विस्तृत आकलन करना, ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और एक से अधिक देशों से आयात के बारे में सोचना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को आर्थिक और ऊर्जा परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स को सुरक्षित करना होगा।

11.2. प्रमुख एवं लघु खनिज (Major and Minor Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक** और **क्वार्ट्ज** को लघु खनिजों की सूची से निकालकर "प्रमुख खनिजों" की श्रेणी में शामिल किया है।

खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण

- लघु खनिजों को **प्रमुख खनिजों की श्रेणी** में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन चट्टानों में ये खनिज प्राप्त होते हैं उनमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, ये खनिज कई **हाई-टेक इंडस्ट्रीज** में भी प्रयुक्त होते हैं।

पैगमाटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक की प्राप्ति

- ये खनिज **पैगमाटाइट चट्टानों** में पाए जाते हैं, जिनमें **बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम और टंगस्टन** जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं।

बैराइट और इसका औद्योगिक महत्व

- इसका इस्तेमाल **अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक कार्यों- ऑयल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि** में होता है।

प्रमुख एवं लघु खनिजों के बारे में

- खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक (ऑर्गेनिक) या अकार्बनिक (इनऑर्गेनिक) रूप से उत्पन्न होते हैं। इन खनिजों में कुछ **निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण मौजूद होते हैं**।
- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)** (**MMDR**) **अधिनियम, 1957** के तहत खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- **प्रमुख खनिज और लघु खनिज।**
  - **"लघु खनिज"** का अर्थ है भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मृदा और रेत, तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य खनिज।
  - **"प्रमुख खनिज"** में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। **प्रमुख खनिज के उदाहरण हैं-** कोयला, लोहा, जस्ता, चूना-पत्थर आदि।

निष्कर्ष

बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक (माइका) और क्वार्ट्ज को 'प्रमुख खनिजों' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाना, इनकी बढ़ती रणनीतिक और औद्योगिक महत्ता को दर्शाता है। यह कदम बेहतर विनियमन सुनिश्चित करता है, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करता है, और भारत की खनिज नीति को नई तकनीकों के विकास की आवश्यकताओं और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाता है।

11.2.1 जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला खदानों और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारत में **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड** और **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

- **गठन:** इसका गठन **2015** में हुआ था। इसका गठन खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके किया गया था।
- **प्रकार:** खनिजों के खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले में **जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाता है। DMF फंड** एक **गैर-लाभकारी वैधानिक निधि** है।
- **महत्व और स्थिति:**
  - **भागीदारी आधारित शासकीय कानूनों के अनुकूल:** जिला खनिज फाउंडेशन की कार्यप्रणाली संविधान की **पांचवीं और छठी अनुसूची** (आदिवासी क्षेत्र); पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 आदि।
  - **23 राज्यों के 645 जिलों में** जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है।
  - एक दशक में **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंड** प्राप्त हुए हैं।
  - **DMF फंड प्राप्त करने के मामले में शीर्ष राज्य:** ओडिशा (29%), छत्तीसगढ़ (14%), और झारखंड (13%)।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के बारे में

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 20A के तहत** की गई थी।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित नियमों में PMKKKY को शामिल करना अनिवार्य होता है।

जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़ी चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:**
  - **अधिकारियों का दबदबा:** उदाहरण के लिए, iForest रिपोर्ट के अनुसार, केवल पाँच राज्यों ने ही DMFs के शासी परिषदों में खनन से प्रभावित लोगों को शामिल किया है।
  - **स्वायत्तता की कमी:** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्टर ही जिला खनिज फाउंडेशन के **शासी परिषद** और **प्रबंधन समिति,** दोनों का अध्यक्ष होता है।
- **योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी:** किसी भी जिले ने पाँच साल की परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) प्रकाशित नहीं की है।
- **फंड के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां:**
  - **कम खर्च:** iForest की रिपोर्ट के अनुसार, एकत्र किए गए **फंड का केवल 40% ही उपयोग किया गया है,** जो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को दर्शाता है। **उदाहरण के लिए-** झारखंड, ओडिशा और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में फंड का उपयोग काफी कम हुआ है।
- **शिकायत निवारण और निगरानी प्रक्रिया का मजबूत नहीं होना:** उदाहरण के लिए– संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **'DMF फंड उपयोग सूचकांक'** नहीं होने की वजह से फंड के उपयोग में पारदर्शिता नहीं आ पाती है।
- **आकांक्षी ज़िलों में PMKKKY लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई:** संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 112 आकांक्षी ज़िलों में से 106 DMF ज़िले हैं, फिर भी खनन के दुष्प्रभावों को कम करने का PMKKKY का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के गवर्नेंस और कार्यान्वयन में सुधार

- **गवर्नेंस संबंधी सुधार:**
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि DMFs स्वतंत्र रूप से और समुदाय के नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करें, न कि जिला प्रशासन की शासकीय यूनिट के रूप में। **उदाहरण के लिए-** DMFs के संचालन में ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- **भागीदारीपूर्ण योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** सभी DMFs को स्थानीय समुदाय के परामर्श से **पांच-वर्षीय व्यापक योजनाएं** तैयार करनी चाहिए।
- **PMKKKY दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करना:** DMF फंड का कम-से-कम **70%** अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को आवंटित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रकों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास, तथा पेयजल आपूर्ति और सैनिटेशन शामिल हैं।
  - राज्य सरकारों को राष्ट्रीय PMKKKY दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य करना:** स्वतंत्र **थर्ड पार्टी एजेंसियों** द्वारा नियमित रूप से ऑडिट करवाया जा सकता है।
  - **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** को DMF के व्यय और उसके प्रभाव का **समय-समय पर मूल्यांकन** करना चाहिए।

निष्कर्ष

अपने गठन के एक दशक बाद भी, DMF धन की कमी से नहीं, बल्कि कमज़ोर दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति से जूझ रहा है। निर्णय लेने में समुदायों को केंद्र में रखने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है।

11.2.2 भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024** तैयार किए हैं।

भारत में अपतटीय खनिजों के बारे में

- **अपतटीय खनन:** यह 200 मीटर से अधिक की गहराई पर, **गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया** है।
- **विस्तार:** दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद** हैं।

अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024

- **किन खनिजों पर लागू होगा:** ये नियम **सभी खनिजों पर लागू** होते हैं, **सिवाय खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन** तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की पहली **अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर।**
- **परिभाषाएं:** इसके लिए नियम में खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) और **खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति (CRIRSCO)** टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है।
- **अन्वेषण मानक (Exploration Standards): खनन पट्टे देने के लिए** संकेतित खनिज संसाधन की पुष्टि हेतु कम से कम **सामान्य अन्वेषण (G2)** उप-चरण पूरा होना आवश्यक है।
- **विशिष्ट अन्वेषण मानदंड:** ये नियम अलग-अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड निर्धारित करते हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन-ग्रेड सिलिका सैंड, कैलकेरियस मृदा, आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

'अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024' भारत की विशाल समुद्री खनिज संसाधनों के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम खनिजों की खोज के लिए स्पष्ट मानक सुनिश्चित करके और वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर संसाधनों के संधारणीय और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

12. नवाचार और उद्यमिता (INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

12.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट' जारी की गई है। यह रिपोर्ट **'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स'** ने जारी की है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- बड़े पैमाने पर सार्वजनिक/निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए खुले मानकों पर निर्मित सुरक्षित, अंतर-संचालनीय डिजिटल प्रणालियों का एक सेट।
- **DPI क्या 'नहीं' है:** कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती।

DPI का महत्व

- **विकास में तेजी लाना:** कुछ ही वर्षों में वित्तीय समावेशन को संभव बनाया गया जिसमें दशकों का समय लग जाता।
- **नवाचार को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, फोन-पे का बड़ी कंपनी बनना DPI के कारण संभव हुआ है।
- **समावेशी विकास:** 2023 तक खोले जाने वाले 508 मिलियन बैंक खातों में से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- **प्रभावी तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण:** DPI-सक्षम DBT के माध्यम से सरकार को 41 बिलियन डॉलर की बचत हुई।
- **संकट में भी कारगर तथा व्यक्तियों को सशक्त बनाना:** कोविड-19 के दौरान टीकाकरण अभियान का समर्थन किया तथा डेटा और धन पर उपयोगकर्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया।

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में

- **इंडिया स्टैक:** यह भारत का अपना मूलभूत DPI है। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल हैं:
  - **आइडेंटिटी लेयर-** (जैसे, आधार नंबर, e-KYC आदि),
  - **पेमेंट लेयर-** (जैसे, UPI, आधार पेमेंट ब्रिज आदि) और
  - **डेटा गवर्नेंस लेयर-** (जैसे, डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर आदि)।

आगे की राह

- ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के गहन शोध और विश्लेषण आधारित **व्यापक तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण** को अपनाने की आवश्यकता है।
- **खुले और रीयूजेबल प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क का समर्थन करना चाहिए।**
  - उदाहरण के लिए- **देशों की संप्रभुता और डेटा स्वामित्व सुनिश्चित** करते हुए, कुछ तरह की DPI का उपयोग करने के लिए देशों को प्लग एंड प्ले करने की अनुमति देने हेतु **रीयूजेबल** प्रबंधित सर्विस मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए।
- DPI के उपयोग से जुड़े अपने अनुभव साझा करने के लिए **वार्षिक DPI फोरम** आयोजन के जरिए संवाद और क्रियान्वयन को बढ़ावा देना चाहिए।
- **अन्य:** देशों के बीच **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संपर्क को बढ़ावा देना, नीतिगत आयामों पर काम करने के लिए केंद्रित संस्थान, AI का लाभ उठाना आदि।**

निष्कर्ष

समावेशी विकास, नवाचार और सेवा वितरण के लिए DPI महत्वपूर्ण है। भारत का उदाहरण वैश्विक स्तर पर इसकी क्षमता को दर्शाता है, जिसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए सहयोग, मानकों और निवेश की आवश्यकता है।

12.2 डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (Innovation Ecosystem for Deep Tech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्ट-अप्स से आग्रह किया कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

डीप टेक स्टार्ट-अप्स क्या हैं?

- डीप टेक्नोलॉजी या डीप टेक से तात्पर्य **एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं** पर आधारित इनोवेशन या नवाचार से है। इसमें कई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में

- **संख्या:** भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में 4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति:** नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 में **दुनिया के शीर्ष 9 डीप-टेक इकोसिस्टम में छठे स्थान पर था।**
- **फंडिंग:** नैसकॉम के अनुसार, भारत के 4,000 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है।

भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों पिछड़ रहे हैं?

- **संस्थागत समर्थन:** 6 में से केवल 1 सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास निकाय ही डीप टेक का समर्थन करता है।
- **वित्तपोषण चुनौतियां:** असंगत वित्तपोषण; VCs जल्दी लाभ पाना चाहते हैं।
- **विकास संबंधी बाधाएं:** लंबा गेस्टेशन पीरियड, पूंजी गहनता।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का फ़ोकस:** उपभोक्ता-उन्मुख स्टार्टअप्स की ओर झुकाव।
- **नियामक बाधाएं:** नीति अनिश्चितता, लालफीताशाही।

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम के लिए विभिन्न पहलें

- केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स**
- **राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति का मसौदा**
- **अदिति (ADITI) योजना**
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन**
- **थीमेटिक मिशन:** ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, AIRAWAT, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडियाAI मिशन, आदि
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** USA के साथ 'इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET)', जापान के साथ 'रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन'

निष्कर्ष

डीप टेक भारत को वैश्विक नवाचार में अग्रणी बना सकता है। भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्रित नीति, दीर्घकालिक पूंजी निवेश और मज़बूत अनुसंधान एवं विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

12.3. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता (Global Innovation Index 2024 and Social Entrepreneurship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल** ने संयुक्त रूप से **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2024** जारी किए।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत एक स्थान के सुधार के साथ विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था।
- ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर** है।
- बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर्स** में शामिल हैं।

सामाजिक उद्यमिता और उद्यम

- गरीबी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए लाभ कमाने वाले नवाचार को गैर-लाभकारी मूल्यों के साथ जोड़ता है।

सामाजिक उद्यमिता और सामाजिक उद्यमों की क्षमता/ महत्व

- **आर्थिक संवृद्धि:** ये **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर** का योगदान करते हैं।
- **विशेषज्ञता के माध्यम से नीति को प्रभावित करना:** उदाहरण के लिए- **इथियोपियाई** नीति निर्माताओं ने **टेबिटा (Tebita) एम्बुलेंस** के साथ सहयोग किया।
- **सतत विकास:** उदाहरण के लिए- **SELCO** भारत स्थित एक सामाजिक उद्यम है।
- सामाजिक नवाचार के माध्यम से कॉर्पोरेट बदलाव का समर्थन करता है।
- **सशक्तिकरण और समानता को सक्षम बनाता है।**

सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- भारतीय स्टार्ट-अप्स एवं MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए **अटल इनोवेशन मिशन (AIM); नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (ASPIRE);** और **आत्मनिर्भर भारत ARISE-ANIC कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत कुछ कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है।
- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE):** इसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमों को **सामने लाना और वित्तीय स्रोत प्राप्त करने में मदद करना है।**
- **सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड:** उदाहरण के लिए- **स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) निवेश फंड** भारत का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड है।

निष्कर्ष

सामाजिक उद्यमिता नवाचार को उद्देश्य के साथ जोड़ती है। मज़बूत समर्थन प्रणालियों के साथ, यह समावेशी और स्थायी परिवर्तन ला सकती है।

12.4 वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PwC की **"कैटालाइजिंग वैल्यू क्रिएशन इन इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स"** नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि **25% से भी कम** बिजनेस लीडर्स अपने GCC परिचालन को भारत से स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) क्या है?

- ये **बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित अपतटीय इकाइयां हैं,** जो अपने मूल संगठनों को IT, अनुसंधान एवं विकास, ग्राहक सहायता और व्यावसायिक परिचालन जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं।
  - भारत में GCC की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1,430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर **1,700** हो गयी।

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र विकास के मुख्य चालक

- **कुशल प्रतिभा युक्त कार्यबल:** IT, एनालिटिक्स और वित्त में विशेषज्ञता वाला एक बड़ा, विविध कार्यबल GCC को जटिल, हाई-वैल्यू वाले कार्यों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- **सरकार द्वारा समर्थन: डिजिटल इंडिया** और **व्यापार-समर्थक सुधारों** जैसी पहलों ने GCC के विकास के लिए अनुकूल माहौल का सृजन किया है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** AI, मशीन लर्निंग, IoT और ब्लॉकचेन का उपयोग GCC को नवाचार और डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- **रणनीतिक बदलाव:** भारत में GCCs अब केवल लागत-बचत इकाइयाँ नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं।

भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य पर GCC का प्रभाव

- **आर्थिक संवृद्धि:** GCC हाई-वैल्यू वाले नौकरियों और नवाचार के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान देते हैं।
  - **2030 तक** इस क्षेत्रक का आकार 105 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **रोजगार सृजन और कौशल विकास:** वित्त वर्ष 24 तक, भारत में GCCs ने **लगभग 1.9 मिलियन पेशेवरों को रोजगार प्रदान किया** (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास:** कई GCCs अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वैश्विक नवाचार केन्द्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।
  - उदाहरण के लिए, हैदराबाद में स्थित माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर अमेरिका के बाहर उसका सबसे बड़ा सेंटर है।
- **बिजनेस प्रैक्टिस अपग्रेड:** जैसे गोल्डमैन सैक्स का बेंगलुरु स्थित GCC एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रमुख इकाई के रूप में विकसित हुआ है।
- **क्षेत्रीय विकास:** GCC का **टियर-2/3 शहरों तक विस्तार** क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रहा है, असमानताओं को कम कर रहा है, तथा स्थानीय अवसंरचना और रोजगार को बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष

GCC ने भारत को लागत-बचत वाले गंतव्य से रणनीतिक नवाचार केंद्र में तब्दील किया है। प्रतिभा युक्त कार्यबल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत समर्थन से GCC संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और 2045 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

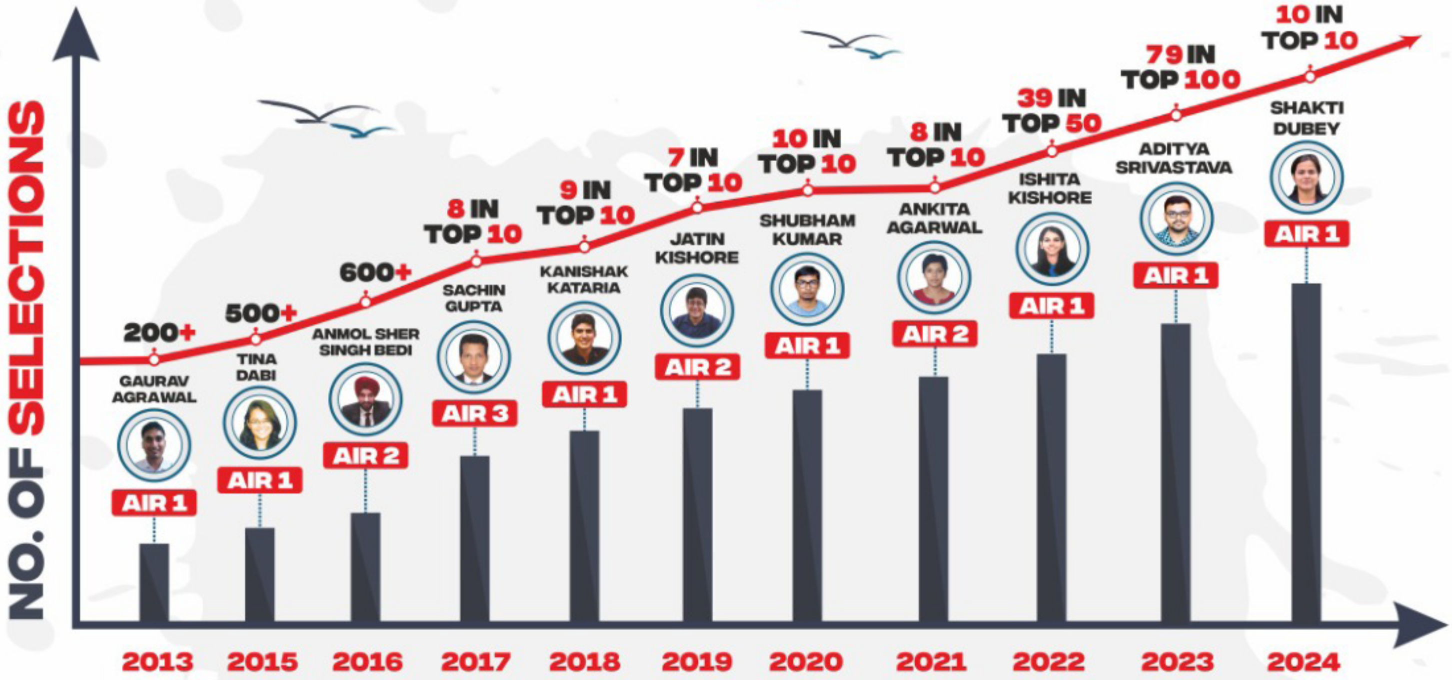

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM | 18 JULY, 5 PM
22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम 7 अगस्त, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 22 JULY | BHOPAL: 27 JUNE | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 30 JULY | JAIPUR: 5 AUG | JODHPUR: 2 JULY | LUCKNOW: 22 JULY | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 2 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR
Komal Punia

7 AIR
Aayushi Bansal

8 AIR
Raj Krishna Jha

9 AIR
Aditya Vikram Agarwal

10 AIR
Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
Ankita Kanti

182 AIR
Ravi Raaz

438 AIR
Mamata

448 AIR
Sukh Ram

509 AIR
Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
DELHI
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची